32

सामाजिक न्याय और अधिकारिता

संबंधी स्थायी समिति

(2021-2022)

(सत्रहवीं लोक सभा)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अनुदानों की मांगें

(2022-23)

बत्तीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2022/ चैत्र, 1944 (शक)

बत्तीसवां प्रतिवेदन

सामाजिक न्याय और अधिकारिता

संबंधी स्थायी समिति

(2021-2022)

(सत्रहवीं लोक सभा)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अनुदानों की मांगें

(2022-23)

24.03.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

24.03.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2022/ चैत्र, 1944 (शक)

विषय-सूची

		पृष्ठ सं.
समिति (2021-22) की संरचना		i-v
प्राक्कथन		vii
	प्रतिवेदन	
अध्याय एक	**प्रस्तावना**	1
अध्याय दो	**बजटीय आवंटन और उपयोग**	**5**
अध्याय तीन	**दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)**	**8**
अध्याय चार	**दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं**	**18**
अध्याय पांच	**दिव्यांगता खेलकुद केन्द्र (सीडीएस)**	**28**
अध्याय-छह	**राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम**	**32**
अध्याय-सात	**सहायक उपकरणों/यंत्रों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता**	39
	अनुबंध	
1	**सामाजिक न्याय संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की 18.02.2022 को हुई छठी बैठक का कार्यवाही सारांश।**	
2	**सामाजिक न्याय संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की 22.03.2022 को हुई नौवीं बैठक का कार्यवाही सारांश।**	
	परिशिष्ट*	
	टिप्पणियों/सिफारिशों का विवरण	

***बाद में संलग्न किया जाएगा।**

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

(2021-22) की संरचना

श्रीमती रमा देवी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री दीपक (देव) अधिकारी
3. श्रीमती संगीता आजाद
4. श्री भोलानाथ 'बी.पी. सरोज'
5. श्रीमती प्रमिला बिसाई
6. श्री थोमस चाजिकाडन
7. श्री छतरसिंह दरबार
8. श्री वाई. देवेन्द्रप्पा
9. श्रीमती मेनका संजय गांधी
10. श्री हंस राज हंस
11. श्री के.षणमुग सुंदरम
12. श्री अब्दुल खालेक
13. श्रीमती रंजीता कोली
14. श्रीमती गीता कोड़ा
15. श्री विजय कुमार
16. श्री अक्षयवर लाल
17. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद
18. श्री अर्जुन सिंह
19. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
20. श्रीमती रेखा अरुण वर्मा
21. श्री तोखेहो येपथोमी

राज्य सभा

22. श्रीमती झरना दास बैद्य
23. श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा
24. श्री अबीर रंजन बिस्वास
25. श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा
26. श्री एन. चंद्रशेखरन
27. श्री नारायण कोरागप्पा
28. श्रीमती ममता मोहंता
29. श्रीमती छाया वर्मा
30. श्री रामकुमार वर्मा

*31. रिक्त

- -

* श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्ला द्वारा 16.03.2022 को त्यागपत्र दिए जाने के कारण।

सचिवालय

1.	श्रीमती अनीता बी. पांडा	-	संयुक्त सचिव
2.	श्रीमती ममता केमवाल	-	निदेशक
3.	श्री कृषेन्द्र कुमार	-	उप सचिव

प्राक्कथन

मैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2021-2022) की सभापति, समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उसकी ओर से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) से संबंधित 'वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की मांगों' पर यह 32वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं।

2. समिति ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) की 'वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की मांगों पर विचार किया जिसे 09 फरवरी, 2022 को सभा पटल पर रखा गया था। बजट संबंधी दस्तावेजों और व्याख्यात्मक टिप्पण प्राप्त करने के बाद समिति ने 18 फरवरी, 2022 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) का साक्ष्य लिया। समिति ने दिनांक 22 मार्च, 2022 को हुई बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

3. समिति सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) के अधिकारियों को 'वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की मांगों' की जांच के संबंध में समिति के समक्ष उपस्थित होने और सूचना देने के लिए धन्यवाद देना चाहती है।

4. संदर्भ सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को प्रतिवेदन के मुख्य भाग में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
22 मार्च, 2022
1 चैत्र, 1944 (शक)

रमा देवी,
सभापति,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता
संबंधी स्थायी समिति

प्रतिवेदन

अध्याय - एक

प्रस्तावना

दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तिकरण पर लक्षित विभिन्न नीतिगत मामलों पर ध्यान केंद्रित करने और संबंधित गतिविधियों पर सार्थक जोर देने के लिए 02 मई , 2012 से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अलग कर दिया गया था। विभाग नीति और कार्यक्रम तैयार करता है; उनके कार्यान्वयन, निगरानी और समीक्षा की देखरेख करता है। विभाग दिव्यांगता से संबंधित मामलों में विभिन्नों स्टेकहोल्डरों, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, गैर सरकारी संगठनों आदि के बीच और नजदीकी समन्वय स्थापित करने के साथ ही दिव्यांगता और दिव्यांगजनों से संबंधित मामलों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण का उद्देश्य शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक विकास तथा भौतिक पुनर्वास की योजनाओं के माध्यम से उन्हें सशक्त करना है और एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जो उन्हें समाज में समान अवसर प्रदान करे, उनके अधिकारों का संरक्षण करे और समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करे। विभाग दिव्यांगजनों की दिव्यांगता, कल्याण और सशक्तिकरण के विभिन्न को शासित करने वाले निम्नलिखित विधानों से संबंधित है-

(i) भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 (1992 का 34);

(ii) स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता एवं बहु-दिव्यांगताग्रस्त जनों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44);

(iii) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49)।

1.2 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार, "दिव्यांगजन" से ऐसी दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि वाला व्यक्ति अभिप्रेत है जिससे बाधाओं का सामना करने अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारों में रुकावट उत्पन्न होती है; और "संदर्भित दिव्यांगजन" से प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणीकृत विनिर्दिष्ट दिव्यांगता के चालीस प्रतिशत से अन्यून का व्यक्ति अभिप्रेत है, जहां विनिर्दिष्ट दिव्यांगता अध्युपायी निबंधनों में परिभाषित नहीं की गई है और इसमें ऐसा दिव्यांगजन भी सम्मिलित है

जहां विनिर्दिष्ट दिव्यांगता, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणीकृत अध्युपायी निबंधनों में परिभाषित की गई है।

1.3 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 268 करोड़ दिव्यांगजन हैं जो कुल जनसंख्या का 22.1 प्रतिशत है। दिव्यांगजनों की कुल जनसंख्या में से लगभग 150 करोड़ पुरुष और 118 करोड़ महिलाएं हैं। लगभग 36% दिव्यांगजन कार्यरत हैं (पुरुष- 47% और महिला -23%। दिव्यांग कामगारों में से, 31% कृषि कामगार हैं। 15-59 वर्ष के आयु वर्ग में दिव्यांग जनसंख्या का पचास प्रतिशत कार्यरत है जबकि 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चों में से 4% कार्यरत हैं।

1.4 2011 की जनगणना के अनुसार दिव्यांगता के प्रकार के आधार पर आँकड़ों का ब्यौरा निम्न है:

दिव्यांगता का प्रकार	व्यक्ति	पुरुष	महिला
देखने में	50,33,431	26,39,028	23,94,403
सुनने में	50,72,914	26,78,584	23,94,330
बोलने में	19,98,692	11,22,987	8,75,705
चलने में	54,36,826	33,70,501	20,66,325
मानसिक मंदता	15,05,964	8,70,898	6,35,066
मानसिक रुग्णता	7,22,880	4,15,758	3,07,122
कोई अन्य	49,27,589	27,28,125	21,99,464
बहु-दिव्यांगता	21,16,698	11,62,712	9,53,986
कुल	2,68,14,994	1,49,885,93 (55.89%)	1,18,264,01 (44.11%)

1.5 विभाग ने वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिव्यांगजनों की राज्य-वार जनसंख्या का ब्यौरा निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:

क्रम सं.	राज्य	2011 की जनगणना के अनुसार दिव्यांगजनों की कुल जनसंख्या

1	आंध्र प्रदेश	1219785
2	अरुणाचल प्रदेश	26,734
3	असम	4,80,065
4	बिहार	23,31,009
5	छतीसगढ़	6,24,937
6	दिल्ली	2,34,882
7	गोवा	33,012
8	गुजरात	10,92,302
9	हरियाणा	5,46,374
10	हिमाचल प्रदेश	1,55,316
11	जम्मू और कश्मीर	3,61,153
12	झारखण्ड	7,69,980
13	कर्नाटक	13,24,205
14	केरल	7,61,843
15	मध्य प्रदेश	15,51,931
16	महाराष्ट्र	29,63,392
17	मणिपुर	58,547
18	मिजोरम	15,160
19	मेघालय	44,317
20	नागालैंड	29,631
21	ओडिशा	12,44,402
22	पंजाब	6,54,063
23	राजस्थान	15,63,694
24	सिक्किम	18,187
25	तमिलनाडु	11,79,963
26	तेलंगाना	10,46,822
27	त्रिपुरा	64,346
28	उत्तर प्रदेश	41,57,514
29	उत्तराखंड	1,85,272
30	पश्चिम बंगाल	20,17,406
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6,660

32	चंडीगढ़	14,796
33	दमन और दीव	2,196
34	दादरा और नगर हवेली	3,294
35	लक्षद्वीप	1,615
36	पुदुचेरी	30,189
	कुल	2,68,14,994

अध्याय - दो

बजटीय प्रावधान और उपयोग

2.1 वर्ष 2022-23 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) की अनुदानों की मांगें मांग संख्या 94 के तहत दी गई हैं। विभाग की विस्तृत अनुदान मांगों को 9 फरवरी, 2022 को लोक सभा के पटल पर रखा गया था। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक व्यय (एई) इस प्रकार हैं:-

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**	**वास्तविक व्यय**
2019-20	1204.90	1100.00	1016.18
2020-21	1325.39	900.00	861.63
2021-22	1171.77	1044.31	539.00 (25.01.2022 तक)
2022-23	1212.42	--	--

2.2 विभाग ने वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 के दौरान सभी योजनाओं का बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक व्यय (एई) तथा चालू वित्तीय वर्ष में 31.01.2022 तक के वास्तविक व्यय (एई) के साथ-साथ 2022-23 के बजट अनुमान (बीई) का निम्नलिखित ब्यौरा भी प्रस्तुत किया है:-

अनुबंध -I

करोड रू. में

2019–20 से 2021–22 और बीई–2022–23 के दौरान योजना/गैर–योजना–वार योजना परिव्यय और व्यय

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	2019-20				2020-21				2021-22 (25.01.2022 तक)				2022-23
		बीई	आरई	वास्तविक व्यय	व्यय में कमी/अधि□श यदि कोई है, तो उसका संक्षेप में कारण बताएं	बीई	आरई	वास्तविक व्यय	व्यय में कमी/अधि□श, यदि कोई है, तो उसका संक्षेप में कारण बताएं	बीई	आरई	वास्तविक व्यय	व्यय में कमी/अधि□श, यदि कोई है, तो उसका संक्षेप में कारण बताएं	बीई
1	राष्ट्रीय संस्थान	215.00	235.55	233.25	न्यून कमी	360.00	260.75	256.81	न्यून कमी	319.00	332.50	211.30	पूरे आवंटन का उपयोग 31-03-2022 तक किया जाएगा	365.00
2	सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप)	230.00	222.50	213.83	वर्ष के दौरान प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने और कोविड–19 महामारी के प्रभाव के कारण भी निधियां जारी नहीं की जा सकी।	230.00	195.00	189.13	कोविड–19 महामारी ने सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए जिलों में शिविरों के आयोजन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।	220.00	180.00	121.48	पूरे आवंटन का उपयोग 31-03-2022 तक किया जाएगा	235.00
3	दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)	75.00	105.00	101.61	पूरी निधियां का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि वित्त वर्ष के अंत में कोविड–19 महामारी के कारण कुछ प्रस्तावों पर कार्रवाई नहीं की गई थी।	130.00	85.00	83.18	मामूली कमी पूर्वोत्तर घटक में कम व्यय और कोविड महामारी में परियोजनाओं के बंद होने के कारण कुछ लागत मानदंडों में कटौती के कारण हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक परियोजना का औसत अनुदान कम था।	125.00	105.00	41.61	पूरे आवंटन का उपयोग 31-03-2022 तक किया जाएगा	125.00
4	भारतीय पुनर्वास परिषद	5.00	5.00	5.00	कोई कमी नहीं	5.50	5.50	5.50	कोई कमी नहीं	5.50	5.50	4.71	पूरे आवंटन का उपयोग 31-03-2022 तक किया जाएगा	6.40

अनुबंध -I

करोड रू. में

2019–20 से 2021–22 और बीई–2022–23 के दौरान योजना/गैर–योजना–वार योजना परिव्यय और व्यय

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	2019-20				2020-21				2021-22 (25.01.2022 तक)				2022-23
		बीई	आरई	वास्तविक व्यय	व्यय में कमी/अधि□श यदि कोई है, तो उसका संक्षेप में कारण बताएं	बीई	आरई	वास्तविक व्यय	व्यय में कमी/अधि□श, यदि कोई है, तो उसका संक्षेप में कारण बताएं	बीई	आरई	वास्तविक व्यय	व्यय में कमी/अधि□श, यदि कोई है, तो उसका संक्षेप में कारण बताएं	बीई
5	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन की योजना (सिपडा)	315.00	260.00	217.34	वित्त वर्ष 2019–20 के अंत में, सिपडा के तहत आरई के 83-59 प्रतिशत के रूप में 217-34 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया जा सकता है। दस घटकों के साथ एक अम्ब्रेला योजना होने के कारण सिपडा को 55-00 करोड़ रुपये तक कम किया जाना था। कोविड–19 महामारी के प्रकोप के कारण देश में वित्तीय वर्ष अंत में लगाए जा रहे लॉकडाउन सहित पूरे बजट आरई आवंटन का उपयोग कई कारणों से नहीं किया जा सका, जिसमें पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति नहीं होना, उपयोग प्रमाण पत्र और साथ ही लॉकडाउन शामिल हैं।	251.50	122.89	103.43	कोविड–19 महामारी के प्रकोप ने कई गतिविधियों को प्रभावित किया है। इसलिए, योजना दिशानिर्देशों के अनुसार अपूर्ण दस्तावेजों के साथ या अप्रासंगिक होने सहित कई प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। दूसरी ओर, कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उपयोग प्रमाण पत्रों की प्रतीक्षा की जा रही थी। तथापि, लंबित यूसी की स्वीकृति और प्रोसेसिंग के लिए दस्तावेजों के पूरा होने के लिए कठोर अनुवर्ती कार्रवाई के कारण, व्यय राशि 103-43 करोड़ रुपये अर्थात आरई को 84-16% तक खर्च की जा सकें।	209..77	147.31	35.04	पूरे आवंटन का उपयोग 31-03-2022 तक किया जाएगा	240.39
6	नैशनल हैंडिकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलेप्मेंट कारपोरेशन (एनएचएफडीसी)	41.21	0.92	0.92	कोई कमी नहीं	001	0.00	0.00	--	0.01	0.00	0.00	-	0.01
7	कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम	60.00	60.00	60.00	कोई कमी नहीं	50.00	50.00	50.00	कोई कमी नहीं	50.00	60.00	25.00	पूरे आवंटन का उपयोग 31-03-2022 तक किया जाएगा	0.10

अनुबंध -I

करोड रू. में

2019–20 से 2021–22 और बीई–2022–23 के दौरान योजना/गैर–योजना–वार योजना परिव्यय और व्यय

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	2019-20				2020-21				2021-22 (25.01.2022 तक)				2022-23
		बीई	आरई	वास्तविक व्यय	व्यय में कमी/ अधि□श यदि कोई है, तो उसका संक्षेप में कारण बताएं	बीई	आरई	वास्तविक व्यय	व्यय में कमी/ अधि□श, यदि कोई है, तो उसका संक्षेप में कारण बताएं	बीई	आरई	वास्तविक व्यय	व्यय में कमी/ अधि□श, यदि कोई है, तो उसका संक्षेप में कारण बताएं	बीई
8	इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर	4.00	2.60	0.00	पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।	4.00	4.00	3.99	न्यून कमी	सिपडा योजना के अंतर्गत विलय कर दिया गया है।				
9	राष्ट्रीय समावेशी और युनिवर्सल डिजाइन संस्थान	0.01	0.00	0.00	-	0.01	0.00	0.00	---	0.01				
10	भारतीय सांकेतिक भाषा, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना (आईएसएलआरटीसी)	5.00	5.00	4.20	पर्याप्त प्रस्ताव न मिलने के कारण	राष्ट्रीय संस्थान में विलय कर दिया गया है।								
11	ब्रेल प्रेसों की स्थापना / आधुनिकीकरण के लिए सहायता	8.00	3.60	0.87	पर्याप्त प्रस्ताव न मिलने के कारण	सिपडा योजना के अंतर्गत विलय कर दिया गया है।								
12	देश के 5 क्षेत्रों में बधिरों के लिए कॉलेज की स्थापना	3.00	0.00	0.00	उचित प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण	सिपडा योजना के अंतर्गत विलय कर दिया गया है।								

अनुबंध -I

करोड रू. में

2019–20 से 2021–22 और बीई–2022–23 के दौरान योजना/गैर–योजना–वार योजना परिव्यय और व्यय

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	2019-20				2020-21				2021-22 (25.01.2022 तक)				2022-23
		बीई	आरई	वास्तविक व्यय	व्यय में कमी/ अधि□श यदि कोई है, तो उसका संक्षेप में कारण बताएं	बीई	आरई	वास्तविक व्यय	व्यय में कमी/ अधि□श, यदि कोई है, तो उसका संक्षेप में कारण बताएं	बीई	आरई	वास्तविक व्यय	व्यय में कमी/ अधि□श, यदि कोई है, तो उसका संक्षेप में कारण बताएं	बीई
13	दिव्यांगता खेल केंद्र की स्थापना	17.00	17.00	15.07	न्यून कमी। सीपीडब्ल्यूडी की मांग के अनुसार निधियां जारी की गई थीं।	100.00	19.50	18.93	बीई आबंटन का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि शिलांग मेघालय में दिव्यांगता खेल केन्द्र का अनुमोदन प्रक्रियाधीन है और वित्तीय वर्ष के अंत में इसे अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। आरई आबंटन का उपयोग लगभग कर लिया गया है।	53.41
14	राष्ट्रीय ट्रस्ट को बजटीय सहायता	20.00	20.00	20.00	कोई कमी नहीं	39.50	30.00	29.80	न्यून कमी	30.00
15	राज्य स्पाइनल इंजरी केंद्रों की स्थापना	5.00	0.00	0.00	उचित प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण	- सिपडा योजना के अंतर्गत विलय कर दिया गया है।				

अनुबंध -I

करोड रू. में

2019–20 से 2021–22 और बीई–2022–23 के दौरान योजना/गैर–योजना–वार योजना परिव्यय और व्यय

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	2019-20				2020-21				2021-22 (25.01.2022 तक)				2022-23
		बीई	आरई	वास्तविक व्यय	व्यय में कमी/ अधि□श यदि कोई है, तो उसका संक्षेप में कारण बताएं	बीई	आरई	वास्तविक व्यय	व्यय में कमी/ अधि□श, यदि कोई है, तो उसका संक्षेप में कारण बताएं	बीई	आरई	वास्तविक व्यय	व्यय में कमी/ अधि□श, यदि कोई है, तो उसका संक्षेप में कारण बताएं	बीई
16	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान की स्थापना	20.00	20.00	17.26	न्यून कमी। सीपीडब्ल्यूडी की मांग के अनुसार निधियां जारी की गई थीं।	राष्ट्रीय संस्थान में विलय कर दिया गया है ।								
17	दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	125.00	108.67	95.15	कोविड–19 महामारी के प्रभाव एवं वर्ष के दौरान भुगतान फाइलें प्राप्त नहीं होने के कारण वर्ष के दौरान धनराशि जारी नहीं की जा सकी।	125.00	100.00	97.40	कोविड–19 महामारी के कारण वर्ष के दौरान भुगतान फाइलों की प्राप्ति न होने के कारण वर्ष के दौरान निधियां जारी नहीं की जा सकीं।	125.00				
18	सूचना ओर जन शिक्षा प्रकोष्ठ	28.00	7.00	6.63	1. आउटडोर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभियान के बजाय योजनाओं के प्रचार–प्रसार के लिए सोशल मीडिया को प्राथमिकता दी गई। 2. चालू वित्त वर्ष के दौरान आयोजित एडिप शिविरों की कम संख्या। 3. प्रस्तावों की प्राप्ति न होना। 4. हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भागीदारी की कम संख्या के कारण।	सिपडा योजना के अंतर्गत विलय कर दिया गया है।								
19	पुनर्वास विज्ञान एवं दिव्यांगता अध्ययन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के लिए सहायता अनुदान	0.01	0.00	0.00	योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है	0.01	0.00	0.00		0.01				

अनुबंध -I

करोड रू. में

2019–20 से 2021–22 और बीई–2022–23 के दौरान योजना/गैर–योजना–वार योजना परिव्यय और व्यय

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	2019-20				2020-21				2021-22 (25.01.2022 तक)				2022-23
		बीई	आरई	वास्तविक व्यय	व्यय में कमी/ अधि□श यदि कोई है, तो उसका संक्षेप में कारण बताएं	बीई	आरई	वास्तविक व्यय	व्यय में कमी/ अधि□श, यदि कोई है, तो उसका संक्षेप में कारण बताएं	बीई	आरई	वास्तविक व्यय	व्यय में कमी/ अधि□श, यदि कोई है, तो उसका संक्षेप में कारण बताएं	बीई
20	सचिवालय	25.00	23.50	22.43		25.00	23.50	20.50						29.00
21	सीसीपीडी	3.66	3.66	2.62	--	4.86	3.86	2.96						5.06
	कुल योग	**1204.90**	**1100.00**	**1016.18**		**1325.39**	**900.00**	**861.63**						**1171.77**

2.3 उन कारणों के बारे में पूछे जाने पर जिनके कारण संशोधित अनुमान को कम किए जाने के बाद भी पिछले तीन वर्षों के दौरान खर्च नहीं किया जा सका, समिति को लिखित उत्तर के माध्यम से बताया गया कि:-

"विभाग ने वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान संशोधित आवंटन का क्रमशः लगभग 92.38% और 95.73% खर्च किया था। इस विभाग में सभी योजनाएं केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं हैं, जहां निधियां कार्यान्वनय एजेंसियों को मांग/प्रस्तावों के आधार पर जारी की जाती है, विभाग को जारी की गई निधियों की मॉनिटरिंग और उपयोग को स्वयं सुनिश्चित करना होता है। पिछले दो वर्षों में कोविड-19 महामारी के कारण योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त संगठन/संस्थानों द्वारा निधियों की कम मांग थी। तथापि, यह सुनिश्चित किया गया है कि स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों को अभी भी वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना है ताकि विशेष स्कूलों, जिला पुनर्वास केन्द्रों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।"

2.4 इसके अतिरिक्त, विभाग ने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में संशोधित अनुमानों में धीमी प्रवृत्ति/कम उपयोग/कम आवंटन के लिए निम्नलिखित विशिष्ट कारण प्रस्तुत किए हैं:-

क) "एडिप योजना के तहत, 2019-20 के दौरान, आम चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण पर्याप्त शिविर आयोजित नहीं किए जा सके। 2020-21 के दौरान, प्रारंभ में निधियां जारी नहीं की जा सकी क्योंकि 13.03.2020 से शिविरों को स्थगित किया गया था। सहायक यंत्रों और सहयाक उपकरणों के वितरण को जारी रखने के लिए, इस विभाग ने कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए एडिप योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान करने और सहायक यंत्रों एवं सहायक उपकरणों के वितरण के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की हैं। कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण, जिसने सीधे रूप से जिलों में बड़े शिविरों के आयोजन को प्रभावित किया, अतः पूरे आरई आवंटन को जारी नहीं किया जा सका।

ख) छात्रवृत्ति योजना के तहत, 2020-21 और 2021-22 के दौरान, चूंकि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) जनवरी/फरवरी के अंत तक खुला था, इसलिए कोविड-19 महामारी के कारण, सत्यापित आवेदन वित्तीय वर्ष के अंत में या अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में प्राप्त हुए थे, जिसके कारण सभी पात्र छात्रों को वर्ष के भीतर निधियां जारी नहीं की जा सकी।

ग) डीडीआरएस/डीडीआरसी योजना के तहत, कोविड-19 के कारण जीआईए के आवर्ती घटकों जैसे छात्रावास, परिवहन, आकस्मिक व्यय, वाहन भत्तों को घटाकर 17% कर दिया गया था।

घ) इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, सूचीबद्ध प्रशिक्षण भागीदारों (ईटीपी) द्वारा वित्तीय अनियमितताओं की जांच करने तथा एक सशक्त और सुरक्षित निधि प्रवाह तंत्र सुनिश्चित करने के लिए, कौशल प्रशिक्षण इस वर्ष एक कठोर जांच से गुजर रहा है। इन पहलों ने निधियों को जारी करने की प्रक्रिया को धीमा कर दिया है।

ङ) कोविड-19 महामारी के प्रकोप ने राज्यों/संघ-राज्यों क्षेत्रों के सुचारू कामकाज यथा निर्माण/कौशल प्रशिक्षण जैसी संबंधित गतिविधियां में बाधा डाली थी। उचित सामाजिक और शारीरिक दूरी के कारण सामान्य क्षमता के पश्चात प्रशिक्षण केंद्रों की समग्र क्षमता को घटाकर आधा कर दिया गया था।

च) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पूर्वोत्तर क्षेत्र के शीर्षों के अंतर्गत पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण सिपडा योजना के तहत राज्य सरकारों से यूसी प्राप्त नहीं हुए थे।"

2.5 यह पूछे जाने पर कि क्या विभाग 2021-22 के लिए पूर्ण बजटीय आवंटन खर्च करने में सक्षम होगा क्योंकि उन्होंने 25 जनवरी, 2022 तक 562.18 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"08.02.2022 की स्थिति के अनुसार, विभाग द्वारा 702.24 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है, जिसमें से 545.90 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है और शेष राशि के लिए बिल जुटाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, विभाग में कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो विचारार्थ विभिन्न चरणों में हैं, इसलिए यह आशा की जाती है कि विभाग 31-03-2022 तक संपूर्ण आबंटन का उपयोग कर पाएगा।"

2.6 इस संबंध में, सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) ने समिति के समक्ष चर्चा के दौरान बताया कि: -

"मार्च, 31 तक हम करेंगे। अभी आपने चिंता जाहिर किया कि जब जरूरत थी तब उस समय हम क्यों नहीं पहुंच पाएं। इस स्कीम के तहत हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आज की तारीख में हमारा ऑब्जेक्टिव इस स्कीम को इम्पिलमेंट करने का तरीका है, जहां भी असेसमेंट कैम्प करते हैं, वहां अगर हजार से कम लाभार्थी होते हैं तो असेसमेंट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जहां

1000 से ज्यादा बेनिफिशरीज़ होते हैं, आज की तारीख में इंस्ट्रक्शन स्टैंड करते हैं, हम वहां कैम्प मोड में करते हैं। पहले ढाई महीने कोरोना में निकल गए, तब भी जितना हम कर सकते थे, हमने कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए कैम्प ऑर्गेनाइज किए, इसके बाद हमने विभाग में विचार-विमर्श किया कि हमें नंबर वन लोगों तक पहुंचना चाहिए। आज की तारीख में जिनकी असेसमेंट हो चुकी है, दो-तीन कैम्पस को ज्वाइन करके वर्चुअल मोड में कर रहे हैं। जैसे मंत्री जी या और डिग्नीटरीज़ एक ही जगह जा सकते हैं, हम दो-तीन जगह को क्लब कर देते हैं और उन कैम्प्स का डिस्ट्रीब्यूशन एक साथ कर रहे हैं।"

2.7 विभाग द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों/पहलों के संबंध में कि 2022-23 के लिए किए गए आबंटन का पूरी तरह से उपयोग किया जाए ताकि दिव्यांगजनों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"बीई 2022-23 में किए गए आवंटन वर्ष की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। विभाग ने वर्ष 2022-23 के लिए 1212.42 करोड़ रुपये की अनुमानित बीई की आवश्यकता प्रस्तुत की थी, जिसका उद्देश्य चल रही गतिविधियों की गति को बनाए रखना और मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नई गतिविधियों को शुरू करना भी था। निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता के मामले में, आरई चरण में अनुदान के लिए अतिरिक्त मांग उठाई जाएगी।

दिनांक 11.08.2021 को आयोजित व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में समिति द्वारा एडिप, सिपडा, डीडीआरएस और छात्रवृत्ति नामक केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं को अगले पांच वर्षों के लिए जारी रखने हेतु इन योजनाओं के संबंध में बजट अनुमान सिफारिश किया गया। सभी चार योजनाओं को 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों की पूरी अवधि के लिए वित्तीय आवंटन और वास्तविक लक्ष्यों के साथ मूल्यांकित और अनुमोदित किया गया है।"

2.8 विभाग के पास उपलब्ध निगरानी तंत्र तथा योजनाओं के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह तंत्र कितना प्रभावी रहा है, के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

क) "प्रत्येक वर्ष के लिए मंत्रालय द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही सहायता अनुदान प्रस्ताव पर विचार किया जाता है। निरीक्षण राज्य के प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है और राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित किया जाता है। इसके अलावा,

मंत्रालय स्वयं राष्ट्रीय संस्थानों (मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय) के माध्यम से निरीक्षण करता है। इसके अतिरिक्त, विभाग की सभी योजनाओं की मॉनिटरिंग और आगे की कार्रवाई के लिए डेटा विश्लेषण और कार्यनीति हेतु, विभाग एक केंद्रीय परियोजना मॉनिटरिंग इकाई (सीपीपीयू) और डेटा कार्यनीति इकाई (डीएसयू) की स्थापना कर रहा है जो अपने आप में अम्ब्रेला सिपडा योजना के तहत एक उप-योजना होगी।

ख) संबंधित राष्ट्रीय संस्थानों की कार्यकारी परिषद/स्थायी परिषद और सामान्य परिषद समय-समय पर राष्ट्रीय संस्थानों/समेकित क्षेत्रीय केन्द्रों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करती है और निष्पादन में अपेक्षित सुधार लाने के लिए उपयुक्त सलाह/निदेश देती है। इसके अतिरिक्त, नियमित आधार पर निष्पादन की विभागीय स्तर की समीक्षा भी की जाती है।

ग) एडिप योजना के अंतर्गत, किसी विशेष कार्यान्वयन एजेंसी के संबंध में निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित राज्य सरकार की सिफारिशों पर अनुदान जारी किए जाते हैं। सिफारिशकर्ता प्राधिकारी 10.00 लाख रुपये तक के सहायता अनुदान के मामले में 15% परीक्षण जांच भी करता है और पिछले अनुदान से लाभार्थियों की सहायता अनुदान के 10.00 लाख रूपये से अधिक होने के मामले में 10% परीक्षण जांच करता है।

घ) संगठनों को जारी किए गए पिछले अनुदान (अनुदानों) के संबंध में लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता होती है।

ङ) कार्यान्वयन एजेंसियों को एक वेबसाइट बनाए रखने और प्राप्त, उपयोग किए गए अनुदानों और लाभार्थियों की सूची के साथ फोटो और राशन कार्ड संख्या/मतदाता पहचान संख्या/आधार कार्ड संख्या, जैसा भी मामला हो, अपलोड करना अपेक्षित है। (सरकार के निर्देशों के अनुसार, आधार संख्या प्राप्त की जाती है लेकिन उसे प्रदर्शित नहीं किया जाता है)

च) ई-अनुदान पोर्टल पर गैर-सरकारी संगठनों के प्रस्तावों को ऑनलाइन प्रस्तुत करना और उन पर कार्रवाई करना।

छ) नीति आयोग पोर्टल (एनजीओ दर्पण) पर गैर-सरकारी संगठनों का अनिवार्य पंजीकरण।

ज) पीएफएमएस के ईएटी (व्यय अग्रिम अंतरण) मॉड्यूल के माध्यम से सहायता अनुदान का उपयोग।

झ) लाभार्थियों के आंकड़ों को केंद्रीय रूप से बनाए रखने के लिए एमआईएस पोर्टल तैयार किया गया है और जल्द ही इसे लॉन्च किया जाएगा। पोर्टल के माध्यम से सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों के वितरण की मॉनिटरिंग कुशलतापूर्वक की जाएगी। इसमें लाभार्थियों के दोहराव को रद्द करने की सुविधा भी होगी।"

2.9 दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पिछले 3 वर्षों की अनुदान मांगों की गहन जांच से, समिति ने पाया कि 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान विभाग के बजट अनुमान को संशोधित अनुमान स्तर हमेशा से ही कम कर दिया जाता है और विभाग कम आवंटन का पूर्णतया उपयोग भी नहीं कर सका। समिति नोट करती है कि विभाग वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान संशोधित आवंटन का क्रमशः 92.38% और 95.73% ही खर्च कर सका क्योंकि इन वर्षों के दौरान योजनाओं के तहत समर्थित संगठन/संस्थाओं ने कम निधियों की मांग की थीं। समिति यह नोट कर क्षुब्ध है कि वर्ष 2021-22 में, विभाग 25.01.2022 तक 1044.31 करोड़ रुपये में से केवल 539.00 करोड़ रुपये ही खर्च कर सका क्योंकि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण आवंटित निधियों का कम उपयोग हुआ था जिसके कारण प्रस्ताव अधूरे दस्तावेजों अथवा निर्धारित योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार प्राप्त नहीं हुए थे। तथापि, समिति के समक्ष साक्ष्य के दौरान विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा समिति को आश्वासन दिया गया था कि 31.03.2022 तक शेष निधियों का पूर्ण उपयोग कर लिया जाएगा। समिति विभाग के परंपरागत उत्तर से संतुष्ट नहीं है क्योंकि 26.01.2022 और 31.3.2022 के बीच 500 करोड़ रुपये से अधिक का उपयोग किया जाना बाकी है। समिति को 2020-2021 हेतु अनुदान मांगों की जांच के दौरान उनके द्वारा यह आश्वासन भी दिया गया था कि मार्च 2021 के अंत तक संपूर्ण बजट आवंटन अर्थात 900 करोड़ रुपये का उपयोग कर लिया जाएगा लेकिन विभाग अंततः 2020-21 में 861.63 करोड़ रुपये ही खर्च कर सका। समिति, कुछ हद तक, कोविड-19 महामारी के कारण योजनाओं के कार्यान्वयन की धीमी गति को समझती है, लेकिन दूसरी ओर कोविड-19 के साथ रहना अब एक सामान्य बात है और नए वेरिएंट आते रहेंगे, जैसा कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। विभाग से विभिन्न योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु कार्य करने के लिए नवोन्मेषी तरीकों का पता लगाने की अपेक्षा की जाती है ताकि आवंटित

बजट के एक-एक पैसे का उपयोग किया जा सके। समिति का मानना है कि यदि विभाग ने महामारी के समय के दौरान लाभार्थियों तक पहुंचने और कार्यान्वयन एजेंसियों के क्षमता निर्माण हेतु उचित कदम उठाए होते और तौर-तरीके तैयार किए होते, तो वर्ष **2021-22** में आवंटित निधि का एक बड़ा हिस्सा **25.01.2022** तक उपयोग किया जा सकता था। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि विभाग द्वारा स्मार्ट समाधान खोजने और **2021-22** में आवंटित शेष निधियों का उपयोग करने के लिए ईमानदार प्रयास किए जाने चाहिए।

2.10 समिति पाती है कि राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त न होना एक बारबार की समस्या बनी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप विभाग द्वारा राज्य सरकारों को निधियां जारी नहीं की गई हैं। इसे विभाग द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने का मुख्य कारण बताया गया है। यद्यपि, समिति इस मुद्दे पर लगातार सिफारिश कर रही है, विभाग काफी समय से इस मुद्दे का समाधान करने में अक्षम रहा है और परिणामस्वरूप, लाभार्थियों को उनकी बिना किसी गलती के योजनाओं से वंचित किया जा रहा है। तथापि, इस समस्या के समाधान हेतु सुदृढ़ प्रणाली विकसित करने के लिए आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पुन: **2020-21** में राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने को विभाग को प्रदत निधियों को अप्रयुक्त किए जाने के लिए जिम्मेदार होने के रूप में उद्धृत किया गया है। समिति की पुरजोर इच्छा है कि विभाग को राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के मुद्दे के समाधान के लिए एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए। समिति का मानना है कि विभाग यह महसूस करता है कि राज्य सरकारों को निधियां जारी न किए जाने का अर्थ है दिव्यांगजन का सशक्तिकरण और पुनर्वास बुरी तरह से प्रभावित होगा और इसे बिना गंभीरता के नहीं लिया जा सकता है। समिति यह स्वीकार करती है कि विभाग ने औचक निरीक्षण, निधि प्रवाह तंत्र में परिवर्तन, प्रक्रियाओं के सरलीकरण आदि के माध्यम से एडीआईपी, सिपडा, एनएचएफडीसी आदि जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए प्रगति की है फिर भी राज्य सरकारों से विलंबित/दोषपूर्ण उपयोग प्रमाणपत्र की समस्या बनी हुई है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि विभाग को राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण बजटीय आवंटन को खर्च करने में कमी को गंभीरता से दूर करना चाहिए और दिव्यांगजनों हेतु कल्याणकारी क्रियाकलापों में बाधा डाले बिना इस मुद्दे को हल करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

2.11 समिति नोट करती है कि विभाग वर्ष **2021-22** के दौरान **08** फरवरी, **2022** तक उनके द्वारा अनुमोदित **702.24** करोड़ रुपये के प्रस्तावों में से **545.90** करोड़ रुपये जारी करने में सफल रहा है। समिति का मानना है कि विभाग को **1,044.31** करोड़ रुपये के संशोधित आवंटन को खर्च करना अत्यंत कठिन हो सकता है क्योंकि वे केवल **702.24** करोड़ रुपये के प्रस्तावों को अनुमोदित करने में सक्षम हैं। समिति अनुमोदित किये गए प्रस्तावों हेतु निधियां जारी करने में विलंब होने के कारणों को नहीं समझ पा रही है। एक सुदृढ़ निगरानी तंत्र होने के बावजूद आवंटन को खर्च करने में विभाग की विफलता के कारणों को समिति के लिए समझना अत्यंत कठिन है। समिति महसूस करती है कि इस योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के मध्य जवाबदेही का अभाव है। इसलिए, समिति इच्छा व्यक्त करती है कि विभाग के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जवाबदेही तय की जानी चाहिए ताकि अधिकारी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभा सकें। समिति यह भी चाहती है कि विभाग यह सुनिश्चित करे कि प्रस्तावों की प्राप्ति और निधियों को जारी करने के बीच लगने वाले समय को न्यूनतम किया जाना चाहिए।

अध्याय - तीन

दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)

दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) दिव्यांगजनों के पुनर्वास से संबंधित परियोजनाओं के लिए दिव्यांगजन अधिनियम, 1995/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए विभाग की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका लक्ष्य दिव्यांगजनों को उनके इष्टतम, शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक अथवा सामाजिक कार्यात्मक स्तरों तक उनकी पहुंच बनाए रखना है और दिव्यांगजनों के समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समर्थ वातावरण तैयार करना और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक कारवाई को प्रोत्साहित करना है।

3.2 जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र वर्ष 2020-21 से डीडीआरएस के तहत स्थापित और वित्त पोषित हैं। डीडीआरसी को 1999-2000 से कार्यान्वित किया जा रहा है। डीडीआरसी की स्थापना के लिए प्रारंभ में 325 जिलों की पहचान की गई थी, जिनमें से 269 जिलों में डीडीआरसी स्थापित किए गए थे। लगभग 55-60 डीडीआरसी कार्यात्मक हैं।

3.3 इस योजना के अंतर्गत बजटीय अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक व्यय (वा.व्यय) इस प्रकार है -

(₹ करोड़ में)

2019-20			**2020-21**			**2021-22**			**2022-23 (25.01.2022) तक**
बीई	आरई	वा.व्यय	बीई	आरई	वा.व्यय	बीई	आरई	वा.व्यय	बीई
75.00	105.00	101.61	130.00	85.00	83.18	125.00	105.00	41.61	125.00

3.4 इस योजना के अंतर्गत वास्तविक लक्ष्य/उपलब्धियां इस प्रकार हैं:-

(₹ करोड़ में)

2019-20	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**

वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धियां	वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धियां	वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धियां	वास्तविक लक्ष्य
45000	38004	42370	31542	40000	16668	40000

3.5 यह पूछे जाने पर कि किन कारणों से विभाग संशोधित अनुमान (आरई) चरण में स्वीकृत निधियों का उपयोग करने में असमर्थ था, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

> "कोविड महामारी में परियोजनाओं के बंद होने के कारण पूर्वोत्तर घटक में कम व्यय और कुछ आवर्ती लागत मानदंडों में कटौती के कारण संशोधित अनुमान को कम कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2020-21 के लिए प्रत्येक परियोजना का औसत अनुदान कम था। परिवहन, वाहन, छात्रावास रखरखाव, वजीफा, कोविड-19 के कारण परियोजनाओं को बंद करने आदि मदों के तहत लागत मानदंडों को कम किया गया था। वर्ष 2020-21 के लिए आरई 85 करोड़ रुपये था जिसके सापेक्ष योजना के तहत 83.18 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान जारी किया गया था।"

3.6 लाभार्थियों की संख्या सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी किए गए सहायता अनुदान के संबंध में विभाग ने अन्य बातों के साथ-साथ अपने लिखित उत्तर में बताया कि मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के माध्यम से पिछले 5 वर्षों में कुल 1,81,509 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। विस्तृत सहायता अनुदान और लाभार्थियों की संख्या इस प्रकार हैं:-

वर्ष	**जारी किया गया सहायता अनुदान (रुपये करोड़ में)**	**सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या**	**लाभार्थियों की संख्या**
2016-17	45.00	592	34431
2017-18	60.00	563	35729
2018-19	70.00	543	41803
2019-20	101.66	432	38004
2020-21	83.18	340	31542

3.7 चूंकि विभाग के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को खर्च नहीं किया जा सका था और पिछले दो वर्षों के दौरान निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों को भी प्राप्त नहीं किया गया था, इसलिए समिति को अन्य बातों के साथ-साथ विभाग द्वारा अपने लिखित उत्तर में बताया गया कि:-

"पिछले दो वर्षों के लिए वास्तविक व्यय की तुलना में संशोधित अनुमान इस प्रकार है:

वर्ष	संशोधित अनुमान (₹ करोड़ में)	वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)
2019-20	105	101.66
2020-21	85	83.18

जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी रही थी। वर्ष 2021-22 के लिए, लगभग 47.00 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान जारी किया गया है और 23.00 करोड़ रुपये के प्रस्ताव जारी किए जाने की प्रक्रिया में हैं। यह उम्मीद की जाती है कि वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक 35 करोड़ रुपये के प्रस्ताव जारी होने की संभावना है, जिससे संशोधित अनुमान लक्ष्यों को पूरा किया जा सके।"

3.8 डीडीआरसी को आवंटित निधियों के उपयोग के बारे में पूछे जाने पर, क्योंकि 269 जिलों में स्थापित डीडीआरसी में से 55-60 डीडीआरसी को कार्यात्मक बनाया गया है, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 तक, डीडीआरसी का वित्तपोषण विभाग की एसआईपीडीए योजना के तहत एक उप-योजना के रूप में किया जाता था। वित्त वर्ष 2020-21 से डीडीआरएस योजना के तहत डीडीआरसी को वित्त पोषित किया जा रहा है।

वर्ष	डीडीआरसी के लिए आवंटित निधियां (आरई) (करोड़ रू. में)	पीआईए को जारी किया गया सहायता अनुदान (जीआईए) (करोड़ रू. में)	डीडीआरसी की संख्या
2018-19	10.00	5.26	45
2019-20	4.00	3.18	22
2020-21	**डीडीआरएस योजना के तहत निधियां का अलग से कोई आवंटन नहीं किया गया था और डीडीआरसी योजना के तहत आवंटित निधियों के माध्यम से जीआईए (सहायता अनुदान) प्रदान किया गया।**	5.75	28

3.9 डीडीआरसी की स्थापना में सुस्त गति के संबंध में, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

क. "विशेष रूप से देश के दूरस्थ हिस्सों में प्रशिक्षित और योग्य पुनर्वास पेशेवरों की कमी है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान लागत मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे पुनर्वास पेशेवरों को दिव्यांग व्यक्तियों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने में कठिनाई होती है। पूर्णकालिक आधार पर कम पारिश्रमिक के कारण पेशेवरों की उच्च संघर्षण दर थी। इन कारणों से, देश के सभी भागों में पूर्णकालिक तैनाती संभव नहीं हो सकी। इस योजना के संशोधित प्रस्तावित दिशा-निर्देशों में, चिकित्सा/पुनर्वास पेशेवरों को परामर्श के आधार पर (अंशकालिक) अथवा पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जा सकता है।

ख. जिला अस्पताल के पास कुछ डीडीआरसी नहीं थे और दूरस्थ क्षेत्र में स्थित थे, जिससे लाभार्थी के लिए लाभ प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हुई।

ग. पुनर्वास और हस्तक्षेप सेवा केवल 7 प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए उपलब्ध थी।"

3.10 यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी चिन्हित जिलों में डीडीआरसी स्थापित किए जाएं और उन्हें कार्यात्मक बनाया जाए, के संबंध में विभाग ने लिखित उत्तर में बताया कि:-

1. "आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के लागू होने के बाद कवर की गई दिव्यांगताओं की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है।

2. संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, जिन्हें 2022-23 से लागू किए जाने की संभावना है, डीडीआरसी अधिमानतः जिला अस्पताल/जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्रों के करीब स्थित होना चाहिए।

3. गुणवत्ता पेशेवरों को अब परामर्श के आधार पर (अंशकालिक) या पूर्णकालिक नियुक्त किया जा सकता है। यह अनुदान की सीमाओं के भीतर आवश्यकताओं के अनुसार पेशेवरों की उपलब्धता बढ़ाने में सहायता करेगा।

4. मंत्रालय डीडीआरसी की स्थापना और संचालन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता के लिए मॉडल डीडीआरसी सुविधाओं को तैयार करने की प्रक्रिया में है।

5. माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रत्येक जिले में डीडीआरसी की स्थापना के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए सूचित किया है।"

3.11 यह पूछे जाने पर कि क्या विभाग 2022-23 के लिए किए गए बजटीय आवंटन के साथ इस योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होगा, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

> "राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वर्तमान में प्रचलित मांगों को ध्यान में रखते हुए, 2022-23 के लिए 125 करोड़ रुपये का बजटीय अनुमान योजना के तहत चल रही और नई परियोजनाओं की सहायता करने के लिए पर्याप्त प्रतीत होता है। निधियों की कमी के मामले में, अनुदान के लिए अतिरिक्त मांग आरई चरण में उठाई जाएगी।"

3.12 स्कीमों के कार्यान्वयन में सुधार के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदमों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अपनी पृष्ठभूमि टिप्पण में बताया कि डीडीआरएस के तहत, राज्य सरकार की सिफारिश (एसजीआर) प्राप्त होने पर निरीक्षण रिपोर्ट (आईआर) के आधार पर गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान जारी किया जाता है। विभाग ने इस वर्ष निर्णय लिया है कि कोविड महामारी के कारण, नियमित अनुदेयी संगठनों के मामले में, लाभार्थियों और कर्मचारियों का भौतिक निरीक्षण न किया जाए। यह निरीक्षण उन लाभार्थियों और कर्मचारियों के रिकॉर्ड के आधार पर किया जा सकता है जो अंतिम अवधि में संगठन में उपस्थित रहें हैं। तदनुसार, सभी राज्यों को उक्त लक्ष्य समूह को लाभ दिए जाने के संबंध में 14 जुलाई, 2020 को सूचना दी गई। योजना के दिशानिर्देश भी वर्तमान में संशोधन के अधीन है, जिसके लिए पुनर्वास विशेषज्ञों, राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र सरकारों से इस योजना में सुधार करने और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत कवर की गई दिव्यांगताओं की संख्या को देखते हुए इसे और अधिक व्यापक बनाने के लिए इनपुट मांगे गए हैं।"

3.13 विभाग के पास उपलब्ध निगरानी तंत्र के संबंध में, समिति को अन्य बातों के साथ-साथ विभाग द्वारा अपने पृष्ठभूमि टिप्पण में बताया कि -

क. "वित्तीय वर्ष 2014-15 से डीडीआरएस के तहत सभी प्रस्ताव केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं।

ख. गैर-सरकारी संगठनों को पहले एनजीओ-दर्पण पोर्टल आईडी पर पंजीकरण करने और अनुदान सहायता प्राप्त करने के लिए ई-अनुदान पर आवेदन करने की आवश्यकता होती है।

ग. एक वर्ष के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुदानों की नई/बाद के अनुदान केवल पिछले वर्ष के अनुदानों के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र, जो देय हो गए हैं, के प्राप्त होने पर की जाती है।

घ. गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की गई स्कीमों/कार्यक्रमों की निगरानी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किए जाने की आशा की जाती है। इन प्रस्तावों को जिला स्तर पर डीएसडब्ल्यूओ द्वारा निरीक्षण किया जाता है और राज्य सरकारों द्वारा अग्रेषित किया जाता है।

ङ. मंत्रालय अन्य बातों के साथ-साथ, डीडीआर स्कीम के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निधियों के समुचित उपयोग की जांच करने के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसियों के माध्यम से समय-समय पर मूल्यांकन अध्ययन जिनके लिए यह स्वीकृत किया जाता है, का आयोजन करता है।

च. गैर-सरकारी संगठनों के कार्य-निष्पादन की संबंधित राज्य सरकारों, राष्ट्रीय संस्थानों और मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षणों के माध्यम से समय-समय पर समीक्षा की जाती है।"

3.14 इस संदर्भ में, विभाग के सचिव ने साक्ष्य के दौरान बताया कि:-

"पूरी डीडीआरएस की स्कीम रीईम्बर्समेंट पर है, अर्थात आप पहले काम करेंगे, फिर आपको पैसा वापस किया जाएगा। उसके ऊपर 'ईट मॉड्यूल' भी साथ में लगाया गया, क्योंकि हम स्कीम में लगातार इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, ताकि उसकी मॉनिटरिंग ठीक तरीके से हो सके।"

3.15 उन्होंने आगे बताया कि:-

"डीडीआरसी स्कीम बेसिकली जिला मजिस्ट्रेट के अंदर चलती है।... जहां-जहां जिला मजिस्ट्रेट ऐक्टिव हैं, उन्होंने स्कीम के मुताबिक आपने चार लोग रखे हुए हैं, जिनके कारण उनके पास फंड्स जाते हैं।"

3.16 डीडीआरएस के तहत 2018-19 से 2021-22 के दौरान जारी की गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार निधियां इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	राज्य का नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (31.12.2021 तक)
1	आंध्र प्रदेश	1452.75	2663.05	1711.80	479.28
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0
3	असम	90.86	124.72	62.02	21.25
4	बिहार	43.87	23.67	0.00	25.74
5	छतीसगढ़	40.64	49.78	1.63	0
6	दिल्ली	29.62	32.65	247.67	71.17
7	गोवा	0.59	0.00	0.00	0
8	गुजरात	97.44	131.96	23.32	42.54
9	हरियाणा	130.74	154.81	140.18	58.01
10	हिमाचल प्रदेश	55.72	71.77	55.31	18.26
11	जम्मू और कश्मीर	5.79	4.53	0.00	0
12	झारखण्ड	1.59	10.39	0.00	0
13	कर्नाटक	86.05	41.31	81.29	57.32
14	केरल	584.86	611.82	628.30	521.91
15	मध्य प्रदेश	162.96	155.50	214.84	95.40
16	महाराष्ट्र	202.21	342.21	154.33	0
17	मणिपुर	525.16	974.01	530.09	309.44
18	मेघालय	54.32	32.59	105.37	11.89
19	मिजोरम	19.88	33.90	11.73	0
20	नागालैंड	2.49	2.48	26.31	0
21	ओडिशा	732.76	1001.05	742.03	642.76
22	पंजाब	45.54	133.65	98.91	13.63
23	राजस्थान	152.21	261.60	144.01	130.09
24	तमिलनाडु	272.19	191.90	208.24	54.01
25	त्रिपुरा	0.27	0.00	0.00	0
26	उत्तर प्रदेश	760.28	1018.59	1161.31	515.47
27	उत्तराखंड	28.65	84.07	29.37	27.04
28	पश्चिम बंगाल	365.88	335.46	311.65	273.99
29	तेलंगाना	1014.16	1646.76	1034.30	545.37
30	पुदुचेरी	40.42	32.61	18.48	20.22
	कुल	6999.9	10166.84	7742.49	3934.79

3.17 डीडीआरएस योजना के तहत, समिति यह नोट करने को बाध्य है कि विभाग संशोधित अनुमान चरण में **2019-20** के लिए प्रदान किए गए **105.00** करोड़ रुपये में से **101.66** करोड़ रुपये और संशोधित अनुमान चरण **2020-21** के लिए प्रदान किए गए **85** करोड़ रुपये में से **83.18** करोड़ रुपये खर्च कर सका। इसके अलावा, विभाग **2020-21** में संशोधित अनुमान चरण में प्रदान किए गए **105.00** करोड़ रुपये में से केवल **47.00** करोड़ रुपये के सहायता अनुदान जारी कर पाया और **23.00** करोड़ रुपये के प्रस्ताव जारी करने की प्रक्रिया में है। समिति को यह भी बताया गया है कि वित्तीय वर्ष **2021-22** के अंत तक कुछ प्रस्तावों हेतु **35** करोड़ रुपये जारी किए जाने की संभावना है। फिर भी, यह स्पष्ट है कि **2019-20** और **2020-21** के लिए निर्धारित लक्ष्य को हासिल नहीं किया गया है और **2021-22** के लिए भी स्थिति में बहुत सुधार नहीं हुआ है क्योंकि विभाग ने **2021-22** के लिए निर्धारित **40000** लाभार्थियों के लक्ष्य में से केवल **16668** लाभार्थियों की सूचना दी है। संभवतः विभाग के प्रदर्शन की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि यह न तो **2019-20**, **2020-21** और **2021-22** के लिए पूर्ण बजटीय आवंटन खर्च करने में सफल रहा और न ही लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहा। समिति को यह जानकर दुख है कि योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए किए गए उपायों के बावजूद, प्रस्तावों की स्वीकृति में काफी समय लगता है जबकि प्रस्तावों को तीव्रता से अनुमोदित करने और सहायता अनुदान को शीघ्र जारी करने की आवश्यकता है। समिति चाहती है कि विभाग प्रस्तावों को तत्काल स्वीकृति दे और **2021-22** हेतु सहायता अनुदान जारी करे। विभाग को प्रस्तावों के शीघ्र निपटान के लिए एक प्रणाली भी विकसित करनी चाहिए ताकि गैर-सरकारी संगठनों के कार्य प्रभावित न हों और लाभार्थियों को परेशानी न हो। समिति यह भी चाहती है कि विभाग **2022-23** के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करे और बजटीय आवंटन को विवेकपूर्ण ढंग से खर्च करे तथा यह भी सुनिश्चित करे कि प्रस्तावों की कमी के कारण बजटीय अनुमानों को संशोधित अनुमान स्तर पर कम न किया जाए।

3.18 समिति पाती है कि जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) योजना **1999-2000** में अस्तित्व में आई थी और **2020-21** से दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के

तहत वित्तपोषित की जा रही है, यह अभी भी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है क्योंकि 269 जिलों में स्थापित डीडीआरसी में से केवल 55-60 डीडीआरसी को ही कार्यात्मक बनाया गया है। है। समिति यह समझती है कि इस मामले पर दिव्यांगता संबंधी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठकों में राज्य सरकार के पदाधिकारियों की उपस्थिति में भी चर्चा की जाती है, फिर भी जिस गति से कार्य आगे बढ़ा है, वह हतोत्साहित करने वाला है। स्पष्ट रूप से, वर्तमान लागत मानदंड योग्य पुनर्वास पेशेवरों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं और दूरदराज के क्षेत्रों में पेशेवरों की एक विशेष कमी है। समिति का मानना है कि विभाग ने इस मुद्दे के समाधान हेतु ठोस कार्रवाई करने में देरी की है, हालांकि अब दिशा-निर्देशों में संशोधन करके और मॉडल डीडीआरसी तैयार करके विभाग द्वारा की गई पहलों से उम्मीद है कि डीडीआरसी की स्थापना में अनुभव की गई कमियों को दूर किया जा सकेगा। समिति को आशा है कि डीडीआरसी को सभी 269 जिलों में कार्यात्मक बनाया जाएगा। समिति वर्तमान स्थिति और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए जा रहे उपायों से अवगत होना चाहेगी।

3.19 समिति नोट करती है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के लागू होने के पश्चात 2018 में चिह्नित दिव्यांगताओं की कुल संख्या 7 से बढ़कर 21 करने के परिणामस्वरूप, विभाग योजना के दिशानिर्देशों में संशोधन की प्रक्रिया में है और योजना में सुधार करने और दिव्यांगता की अधिक संख्या में मद्देनजर व्यापक आधार बनाने के लिए पुनर्वास विशेषज्ञों और राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों की सरकारों से सुझाव मांगे गए हैं। समिति यह जानकार क्षुब्ध है कि इस कार्य को पूरा करने के लिए विभाग द्वारा कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक निश्चित समय-सीमा के अभाव में, समिति इस बात से चिंतित है कि केवल दिशानिर्देशों के संशोधन में इतना समय लगा क्योंकि 2016 में अधिनियम के लागू होने के बाद से पहले ही काफी समय बीत चुका है। और अधिक विलंब से दिव्यांगजनों के कल्याण में बाधा आएगी। इसलिए, समिति चाहती है कि विभाग दिशा-निर्देशों में संशोधन का कार्य पूरा करने के लिए एक समय-सीमा निर्धारित करे और इस संबंध में तैयार की गई अनुसूची से अवगत कराए।

3.20 समिति पाती है कि दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) का कार्यान्वयन गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) द्वारा किया जा रहा है, जिसे दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता के रूप में सहायता अनुदान मिलता है। गैर-सरकारी संगठनों की निगरानी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों द्वारा की जाती है। विशेष स्कूलों के संचालन, स्कूल-पूर्व प्रारंभिक कार्यकलापों, कुष्ठ रोग से ठीक हो चुके व्यक्तियों और मस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित बच्चों आदि हेतु परियोजनाओं में गैर-सरकारी संगठनों के कार्य-निष्पादन की संबंधित राज्य सरकारों, राष्ट्रीय संस्थान और विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षकों के माध्यम से समय-समय पर समीक्षा की जाती है। समिति यह भी पाती है कि विभाग समय-समय पर कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निधियों के समुचित उपयोग की जांच करने के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसियों के माध्यम से मूल्यांकन अध्ययन करता है। समिति इस तथ्य पर निराशा व्यक्त करती है कि विभाग के पास उपलब्ध सभी प्रणालियों के बावजूद, सहायता अनुदान की स्वीकृति से लेकर गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण की समीक्षा तक, **2019-20** और **2020-21** के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका। समिति को **2021-22** के लिए निर्धारित लक्ष्य के बारे में भी अत्यधिक संदेह है, विशेषकर जब लाभार्थियों और कर्मचारियों का निरीक्षण कोविड महामारी के कारण रुका हुआ था। समिति नोट करती है कि अप्रैल, **2018** में डीडीआरएस को संशोधित किए जाने के पश्चात लागत मानदंडों को भी **2.5** गुना बढ़ा दिया गया है, जो बेहतर निगरानी तंत्र, अधिमानतः मौजूदा स्थिति के अनुसार ऑनलाइन/हाइब्रिड मोड में, निरीक्षण एजेंसियों से प्रतिक्रिया आमंत्रित करने के साथ-साथ लाभार्थियों के साथ सीधे संवाद करने और उनकी समस्याओं का संतोषजनक समाधान प्रदान करने की मांग करता है।

अध्याय - चार

दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं

दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति' की योजना एक अम्ब्रेला योजना है जिसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 31 (1) और (2) के अधिदेश को पूरा करने के लिए 1 अप्रैल, 2018 से लागू किया गया है, जिसमें दिव्यांगता वाले प्रत्येक बच्चे को पड़ोस के स्कूल में या उसकी पसंद के एक विशेष स्कूल में नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। इस स्कीम में छह घटक नामत: मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, उच्च श्रेणी शिक्षा, राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति, दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और नि:शुल्क कोचिंग शामिल हैं। 2017-18 तक, योजना के छह घटकों को स्टैंडअलोन योजनाओं के रूप में लागू किया गया था, जिनके अलग-अलग बजट थे। इस योजना को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के लिए अद्वितीय कोड के साथ लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) में पंजीकृत किया गया है। 2018-19 से प्रभावी योजनाओं का विलय/एकीकरण बजट आवंटन की मांग-आपूर्ति असंतुलन को दूर करने और कार्यान्वयन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए किया गया है। अम्ब्रेला योजना में, यदि एक खंड में अधिशेष निधि उपलब्ध है, तो उस अधिशेष का उपयोग दूसरे में किया जा सकता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग छात्रों को अपनी आजीविका कमाने और समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने हेतु आगे अध्ययन करने के लिए सशक्त बनाना है, क्योंकि वे अध्ययन करने और सम्मान के साथ जीने में कई बाधाओं- शारीरिक, वित्तीय और मनोवैज्ञानिक का सामना करते हैं।

4.2 अम्ब्रेला योजना के तहत 2022-23 के लिए बजट अनुमान (बीई) के साथ 2019-20 से 2021-22 का बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक व्यय (एई) इस प्रकार हैं:

वर्ष	**बजट आवंटन (₹ करोड़ में)**	**संशोधित आवंटन (₹ करोड़ में)**	**वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)**

2019-20	125.00	108.67	95.15
2020-21	125.00	100.00	97.40
2021-22	125.00	110.00	56.90 (25.01.2022 तक)
2022-23	105.00	-	-

4.3 2019-20 से 2021-22 के दौरान योजना-वार वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धि और 2022-23 के लिए लक्ष्य इस प्रकार हैं:-

क्रम सं.	**स्कीम/परियोजना का नाम**	**वास्तविक लक्ष्य**	**उपलब्धियां**	**कमी यदि कोई हो, कारणों को दर्शाता संक्षिप्त विवरण**	**वास्तविक लक्ष्य**	**उपलब्धियां**	**कमी यदि कोई हो, कारणों को दर्शाता संक्षिप्त विवरण**	**वास्तविक लक्ष्य**	**उपलब्धियां (25.01.2022 तक)**	**कमी यदि कोई हो, कारणों को दर्शाता संक्षिप्त विवरण**	**वास्तविक लक्ष्य**
		2019-20			**2021-22**			**2021-22**			**2022-23**
1.	दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप	200 फैलोशिप	537	कोई कमी नहीं	200 फैलोशिप	551 (सामान्य जातियों सहित)	कोई कमी नहीं है। 2020-21 के लिए अभ्यर्थियों का चयन यूजीसी द्वारा किया जा रहा है।	200 फैलोशिप	458 (सामान्य जातियों सहित)	कोई कमी नहीं है। 2020-21 के लिए अभ्यर्थियों का चयन यूजीसी द्वारा किया जा रहा है।	200 छात्रवृत्तियां
2.	दिव्यांग छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	17000 छात्रवृत्तियां	19978 छात्रवृत्तियां	कोई कमी नहीं	17000 छात्रवृत्तियां	12573 छात्रवृत्तियां	एनएसपी पोर्टल पर प्रस्ताव नहीं मिलने के कारण	17000 छात्रवृत्तियां	14231 छात्रवृत्तियां	यह लक्ष्य 31.03.2022 तक प्राप्त कर लिया जाएगा।	17000 छात्रवृत्तियां
3.	दिव्यांग छात्रों के लिए उच्च श्रेणी की शिक्षा	300 छात्रवृत्तियां	239 छात्रवृत्तियां	लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि राज्य सरकारों से पर्याप्त सत्यापित आवेदन प्राप्त नहीं हुए थे	300 छात्रवृत्तियां	453 छात्रवृत्तियां	कोई कमी नहीं	300 छात्रवृत्तियां	147 छात्रवृत्तियां	यह लक्ष्य 31.03.2022 तक प्राप्त कर लिया जाएगा।	300 छात्रवृत्तियां

4.	दिव्यांग छात्र के लिए नि:शुल्क कोचिंग	2000 छात्रवृत्तियां	--	संस्थानों से प्राप्त अपर्याप्त प्रस्ताव	2000 छात्रवृत्तियां	--	संस्थानों से प्राप्त अपर्याप्त प्रस्ताव	2000 छात्रवृत्तियां	--	संस्थानों से प्राप्त अपर्याप्त प्रस्ताव	2000 छात्रवृत्तियां
5.	दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्र-पारीय छात्रवृत्ति	20 छात्रवृत्तियां	-	पर्याप्त प्रस्ताव न मिलने के कारण	20 छात्रवृत्तियां	2 छात्रवृत्तियां	पर्याप्त प्रस्ताव न मिलने के कारण	20 छात्रवृत्तियां	3 छात्रवृत्तियां	पर्याप्त प्रस्ताव न मिलने के कारण	20 छात्रवृत्तियां
6.	दिव्यांग छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति	25000 छात्रवृत्तियां	22218 छात्रवृत्तियां	एनएसपी पोर्टल पर प्रस्ताव नहीं मिलने के कारण	25000 छात्रवृत्तियां	12488 छात्रवृत्तियां	एनएसपी पोर्टल पर प्रस्ताव नहीं मिलने के कारण	25000 छात्रवृत्तियां	2259 छात्रवृत्तियां	लक्ष्य 31.03.2022 तक प्राप्त कर लिया जाएगा	25000 छात्रवृत्तियां

4.4 छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में बजटीय अनुमान स्थिर रहने और संशोधित अनुमान (आरई) चरण में डाउनसाइज़िंग के बाद भी विभाग आवंटित निधि का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सका, के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

> "कम वास्तविक व्यय मुख्य रूप से 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान स्थिर बजट अनुमानों के लिए उत्तरदायित्व था। मार्च, 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त अपर्याप्त आवेदनों के कारण वास्तविक व्यय कम था। 2020-21 और 2021-22 के दौरान, चूंकि, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) जनवरी/फरवरी के अंत तक खुला था, कोविड-19 महामारी के कारण, सत्यापित आवेदन वित्तीय वर्ष के अंत में या अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में प्राप्त हुए थे, जिसके कारण सभी पात्र छात्रों को वर्ष के भीतर निधियां जारी नहीं की जा सकी थी। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी और पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में इन शीर्षों के तहत आवंटित निधियों के अनुपात में पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण निधियां जारी नहीं की जा सकीं।"

4.5 बजट अनुमानों की गणना के लिए अपनाए गए मानदंड और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए प्रस्तावित बजटीय आवंटन को 105 करोड़ रुपये तक कम करने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"बजटीय अनुमानों की गणना करने में शामिल पैरामीटर पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय हैं; पिछले वर्ष के दौरान सभी छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत जारी किए गए आवेदनों/छात्रवृत्तियों की संख्या; पिछले तीन वर्षों का औसत व्यय + उसी की तुलना में 10% की वृद्धि आदि।

व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा कुल आवंटन (2021-22 से 2025-26) पर लगाई गई सीमा/सीमा को ध्यान में रखते हुए 2022-23 के लिए बजट अनुमान (105 करोड़ रुपये) को कम कर दिया गया है, जो 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए योजना का मूल्यांकन करते समय 2019-20 में किए गए वास्तविक व्यय के 5.5 गुना पर रखा गया है। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए 5 वर्ष का आवंटन 560 करोड़ रुपये रखा गया है, जिसका औसत 112 करोड़ रुपये आता है। इसके अलावा, वर्ष 2021-22 के लिए, छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत 125 करोड़ रुपये का बढ़ाया गया बीई आवंटित किया गया था क्योंकि वर्ष 2020-21 के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के 17,167 बचे हुए लाभार्थियों को भुगतान के कारण 35 करोड़ रुपये की प्रतिबद्ध देयता थी। यह बढ़ाया गया आबंटन पिछले वर्षों के बचे हुए मामलों/लंबित भुगतानों के चक्र को तोड़ने के लिए दिया गया था। 2021-22 में बढ़े हुए आवंटन के परिणामस्वरूप, 2022-23 के लिए आवंटन इस आधार पर कम कर दिया गया है कि 2021-22 के बचे हुए छात्रों को 2022-23 में कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।"

4.6 प्रत्येक योजना के अंतर्गत अंब्रेला योजना के तहत लाए जाने के बाद किए गए नोशनल आबंटन और प्रत्येक योजना के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए तंत्र के संबंध में, विभाग ने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"प्रत्येक छात्रवृत्ति योजना के तहत नोशनल आवंटन नहीं किया जाता है, क्योंकि सभी योजनाओं का विलय 01.04.2018 से एक समग्र (अंब्रेला) योजना के तहत कर दिया गया था। इस विलय ने एक घटक में दूसरे घटक में अधिशेष निधियों का उपयोग करने में सक्षम बनाया है। तथापि, ऐसी नितांत स्थिति से बचने के लिए जहां बजट आबंटन का एक बड़ा हिस्सा योजना के केवल एक खंड द्वारा दूसरों के लिए बहुत कम धनराशि छोड़कर उपयोग किया जाता है, इस योजना में एक प्रावधान रखा गया है कि किसी खंड के लिए निधियों का उपयोग पूरी योजना के लिए कुल बजट आवंटन के न्यूनतम 5% से अधिकतम 50% तक होगा। इसके अतिरिक्त, इन स्कीमों के बारे में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित कुलपतियों के साथ प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक/सोशल मीडिया में विज्ञापन के माध्यम से जागरूकता बढ़ाई जाती है।"

4.7 आगे, विभिन्न योजनाओं के तहत 2019-20 से छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत निर्धारित स्थिर लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

> "प्रत्येक स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों की अधिकतम संख्या के संदर्भ में निर्धारित लक्ष्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से अंतिम रूप से सत्यापित आवेदन प्राप्त न होने के कारण अपरिवर्तित रहा। यद्यपि वर्ष 2020-21 के दौरान पोस्ट-मैट्रिक के तहत लक्ष्य को प्राप्त करने में कमी थी, वर्ष 2021-22 में, यह एक पूर्ण बदलाव है क्योंकि आज तक प्राप्त अंतिम रूप से सत्यापित आवेदनों की संख्या 17,000 के निश्चित स्लॉट की तुलना में 26,593 है जो पिछले वर्ष की तुलना में 100% की वृद्धि है। यह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित वीसी के साथ प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक/सोशल मीडिया में विज्ञापन के माध्यम से जागरूकता पैदा करने के लिए विभाग द्वारा किए गए अथक प्रयासों के कारण संभव हुआ था"

4.8 नि:शुल्क कोचिंग और राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावों की अपर्याप्त संख्या और इन योजनाओं के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए विभाग द्वारा उठाए गए उपचारात्मक कदमों के संबंध में विभाग ने लिखित उत्तर में बताया कि:-

> "दिव्यांग छात्रों के लिए नि:शुल्क कोचिंग योजना के अंतर्गत, पैनल में शामिल किए जाने के लिए आज तक प्राप्त प्रस्तावों को योजना के पात्रता मानदंडों को पूरा न करने के कारण अपात्र पाया गया था। पैनल में शामिल करने के लिए दिव्यांगजनों की विशेष जरूरतों जैसे अवसंरचना, पाठ्यक्रम सामग्री आदि में पहुंच को ध्यान में रखते हुए दिशा-निर्देश तैयार किए गए थे। निजी कोचिंग संस्थान, जो पहले से ही सामान्य उम्मीदवारों को कोचिंग प्रदान कर रहे हैं, दिव्यांगजनों के लिए बुनियादी ढांचे को सुगम्य बनाने में निवेश करने के लिए अनिच्छुक प्रतीत होते हैं। इसलिए, इस समस्या को कम करने के लिए, विभाग ने मोड-II का प्रस्ताव किया है जिसे अनुमोदित कर दिया गया है और 01/04/2022 से प्रभावी होगा, जिससे छात्र उन संस्थानों, जिनका अखिल भारतीय प्रतिष्ठा हैं और कोचिंग प्रदान करने में एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं से नि:शुल्क कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता लेने के लिए सीधे विभाग को आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना के तहत, वर्ष 2019-20, 20-21 और 2021-22 में, 2019-20 और वर्तमान वर्ष में प्राप्त आवेदन 20 के लक्ष्य स्लॉट से अधिक हैं, लेकिन पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करने के कारण छात्रवृत्ति के पुरस्कार के लिए अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों की संख्या 2019-20 में कम थी :

वित्तीय वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या	छात्रवृत्ति पुरस्कार के लिए चयनित
2019-20	48	7
2020-21	12	6
2021-22	जुलाई, 2021 तक 7 आवेदन प्राप्त हुए	5
	अगस्त, 2021 के बाद 12 आवेदन प्राप्त हुए	जांच समिति की बैठक जल्द बुलाई जाएगी।

जहां तक अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए की जा रही कार्रवाई का संबंध है, आवेदन प्रक्रिया अब पूरे वर्ष खुली है और सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र का मूल्य पहले के मूल्य (किसी विशेष छात्र पर सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली कुल राशि) की तुलना में घटाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, विभाग ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस योजना की विशेषताओं और लाभों के बारे में बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रधान सचिवों के साथ बैठकें कीं। इसके अलावा, सोशल मीडिया/समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न की जा रही है।

4.9 समिति के साथ चर्चा के दौरान छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत अपेक्षित लक्ष्यों को पूरा करने में विभाग की असमर्थता के बारे में पूछे जाने पर, विभाग के सचिव ने बताया कि:-

"हमारा इस साल का जो पोर्टल है, उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे कितने स्लॉट्स हैं और हमारे पास कितनी एप्लीकेशन्स आई हैं। पहले यह होता था कि शायद हम हमारे स्लॉट्स पूरे नहीं कर पाते थे, लेकिन इस बार हम स्टेट के सहयोग से बार-बार वीसी करके यह एंश्योर किया कि वे सब बच्चे जो एलिजिबल हैं, वे एप्लाई जरूर करें। चाहे उनके नम्बर कम हो या ज्यादा हो, लेकिन अगर वे एलिजिबल हैं तो उन्हें कहीं से तो स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। कई बार बच्चों को महसूस होता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो स्कीम चला रही है, वह यहां की स्कीम से बेटर है तो वे वहां के लिए अप्लाई कर देते हैं। हमारे पास इस साल जो डेटा आया है, जो कि एनएसपी से कंट्रोल होता है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है कि हम किसका रखेंगे या नहीं रखेंगे। जो यह सारा डेटाबेस है, इसके लिए

एक एंड टू एंड प्रोग्राम है कि कैसे एप्लाई करना है, कौन वेरिफाई करता है, कौन सी इंस्टीट्यूस वेरिफाई होते हैं।"

4.10 विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में विकलांग व्यक्तियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए विभाग द्वारा उठाए गए उपायों/कदमों के बारे में विस्तार से बताते हुए, समिति के साथ चर्चा के दौरान विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि:-

"जहां तक छात्रवृत्ति योजनाओं का संबंध है, इस बार हमने इस दिशा में बहुत प्रयास किए हैं। हमारी जो प्रमुख छात्रवृत्तियां हैं - प्रीमेट्रिक छात्रवृत्ति, जो कक्षा नौ और दस के लिए है, पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति, जो कक्षा 11 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन, डिग्री-डिप्लोमा तक है तथा टॉप क्लास छात्रवृत्ति, ये तीनों ही नैशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से चलाई जाती हैं। हमारे पास ये सारे आवेदन राज्यों से आते हैं, इसलिए हमने राज्यों में जो स्टेट नोडल अधिकारी हैं तथा जो उनके प्रमुख सचिव हैं, जो स्कॉलरशिप से डील कर रहे हैं, उनके साथ सेक्रेट्री महोदय ने बहुत सारी वीसीज़ कीं, उनके नीचे जॉइंट सेक्रेट्री लेवल पर भी ये वीसीज़ हुईं, जिसकी वजह से इस बार जो आवेदन हुए, उनकी संख्या बहुत बढ़ गई।

अभी तक हमारे पास छात्रवृत्ति के जो स्लॉट्स होते थे, उसके मुकाबले आवदेन बहुत कम आते थे। इस बार जो पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति है, जो सबसे पॉपुलर छात्रवृत्ति है, जिसमें कुल 17 हजार टोटल स्लॉट्स हैं, इस बार उन 17 हजार स्लॉट्स के मुकाबले इस बार कुल मिलाकर 28,087 एप्लीकेशंस हैं, जो सटेट्स के द्वारा सत्यापित की जा चुकी हैं। इसका मतलब जो टोटल एप्लीकेशंस थीं, वे इससे काफी ज्यादा थीं। जो एप्लीकेशंस सत्यापित की गई हैं, वेरिफाय की गई हैं, वे एप्लीकेशंस स्लॉट्स के मुकाबले करीब-करीब ड्योढे से भी ज्यादा हैं। इसी तरह जो टॉप क्लास छात्रवृत्ति है, जो छात्रवृत्ति टॉप क्लास के संस्थानों जैसे आईआईटी है, ट्रिपल आईटी है, उसमें कुल 300 स्लॉट्स होते हैं। इस बार कुल 436 एप्लीकेशंस सत्यापित, वैरिफाय होकर हमारे पास आ चुकी हैं।

इस बार जो प्रयास किया गया, इन छात्रवृत्ति योजनाओं को बच्चों तक पहुंचाने के लिए, इसमें हमने राज्य सरकारों के साथ जो प्रयास किए, जो कंबाइंड एफर्ट्स किए, उसके बहुत अच्छे नतीजे आए हैं। अब सारी एप्लीकेशंस स्टेट

गवर्नमेंट्स के थ्रू वैरिफाय होकर हमारे पास आ रही हैं। अब फरवरी के जो 15 दिन हैं और इसके बाद मार्च में सारे बच्चों को डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट में यह पैसा चला जाएगा"

4.11 इन छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ऑफ-लाइन आवेदन प्रस्तुत करने के प्रावधान या एनएसपी तक पहुंच के संबंध में दिव्यांगजनों द्वारा सामना की जाने वाली असुविधाओं के बारे में कोई शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है, के बारे में पूछे जाने पर सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी ने प्रस्तुत किया है: -

"आपके सुझाव को मैंने नोट कर लिया है, लेकिन इसमे हमारे हाथ में कुछ नहीं है। कोई कम्प्लेंट नहीं आई है, क्योंकि यह एंड टू एंड सोल्यूशन है और इसके अंदर रेक्टिफाई करके हम यह कोशिश कर रहे हैं कि किसी गलत लाभार्थी के पास पैसा न जाए। सही लाभार्थी को, सही जगह डीबीटी के थ्रू पैसा पहुंचे।"

4.12 जहां तक पिछले तीन वर्षों के दौरान एनएसपी पोर्टल पर अपर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त होने के कारणों और यह सुनिश्चित करने के लिए की गई पहलों का संबंध है कि एनएसपी पोर्टल पर लक्षित संख्या में प्रस्ताव प्राप्त हों, विभाग ने लिखित उत्तर में बताया कि:

"छात्रों से अपर्याप्त आवेदन प्राप्त होने के संभावित कारणों में से एक यह है कि कई राज्य सरकारों की अपनी छात्रवृत्ति योजनाएं हैं जो छात्रों द्वारा अधिक फायदेमंद पाई जाती हैं। इसके अलावा, कोविड -19 महामारी के कारण, स्कूलों/ कॉलेजों/संस्थानों को वर्ष के अधिकांश भाग के लिए बंद कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप एनएसपी पोर्टल पर आवेदनों की संख्या कम थी। दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं के संबंध में पर्याप्त आवेदनों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने छात्रों और अन्य पणधारियों के बीच इन योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किए हैं। जागरूकता फैलाने के लिए अन्य सभी प्रकार के मीडिया का भी उपयोग किया जा रहा है। विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों से अनुरोध किया गया है कि वे इन स्कीमों को अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लोकप्रिय बनाएं। अपनाए गए उपायों का परिणाम उत्साहजनक है जैसा कि प्री- मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति योजनाओं में आवेदनों की बढ़ती संख्या से स्पष्ट है।"

4.13 जहां तक दिव्यांगजनों के शैक्षिक सशक्तिकरण की योजनाओं का संबंध है, समिति यह बात नोट कर क्षुब्ध है कि दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति की छह योजनाओं के अंतर्गत बजटीय आबंटन न केवल स्थिर रहा है बल्कि कोविड-19 महामारी के

कारण विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अपर्याप्त आवेदनों के कारण इनमें से प्रत्येक स्कीम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं किया गया है। जैसा कि मंत्रालय ने बताया था, उनके द्वारा निधियां जारी नहीं की जा सकीं क्योंकि सत्यापित आवेदन वित्तीय वर्ष के अंत में/अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में प्राप्त हुए थे। चूंकि आवेदनों की देर से प्राप्ति के कारण पिछले वर्ष में धन जारी नहीं किया जा सका था, इसलिए सुविधाजनक रूप से यह माना गया कि अगले वर्ष भी यही परिदृश्य जारी रहेगा और इसी तरह के बजटीय आवंटन के साथ-साथ लक्ष्यों को आगामी वर्ष के लिए निर्धारित किया गया था जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि 2019-20 से आज तक, 200 राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति, 1700 पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियां, 300 शीर्ष श्रेणी की शिक्षा, 2000 नि:शुल्क कोचिंग, 20 राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्तियां और 25000 मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां प्रत्येक वर्ष बिना किसी परिवर्तन के निर्धारित किए गए लक्ष्य हैं। यह अन्य बात है कि राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना को छोड़कर कोई अन्य लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया था। समिति का मानना है कि विभाग को ईमानदारी से काम करने और इस तरह के उदाहरणों को दूर करने के लिए साधनों का पता लगाने की आवश्यकता है। समिति यह भी महसूस करती है कि विभाग और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के बीच समन्वय की कमी है जिसके परिणामस्वरूप समय पर कार्रवाई शुरू नहीं की जाती है और छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। समिति चाहती है कि विभाग उचित उपाय करे ताकि दिव्यांग छात्र विभाग की छात्रवृत्ति योजनाओं से वंचित न रह सकें। जैसा कि समिति को बताया गया था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी और उत्तर-पूर्व क्षेत्र से पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए विभाग को इन श्रेणियों और उत्तर-पूर्व राज्यों से संबंधित दिव्यांग छात्रों के बीच इन छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए ताकि उन्हें भी इन योजनाओं का लाभ मिल सके।

4.14 समिति आगे यह नोट कर आश्चर्यचकित है कि दिव्यांगजनों की विशेष आवश्यकताओं के संबंध में कोचिंग संस्थानों हेतु दिशा-निर्देशों के मद्देनजर दिव्यांग छात्रों के लिए नि:शुल्क कोचिंग छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया क्योंकि कथित तौर पर कोचिंग संस्थानों को पैनलबद्ध नहीं किया जा सका। समिति यह

जानकार क्षुब्ध है कि योजना के तहत 2019 से 2022 तक लाभार्थियों की संख्या शून्य है और विभाग द्वारा 01 अप्रैल, 2022 से छात्रों को किसी ऐसे संस्थान जो अखिल भारत में कोचिंग देने में प्रतिष्ठित है और जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, से नि:शुल्क कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता लेने के लिए सीधे विभाग में आवेदन करने की अनुमति देने के लिए तीन साल से अधिक का समय लग गया। समिति अत्यधिक विलंब के लिए निर्धारित की गई जिम्मेदारी तथा उन कारणों से अवगत होना चाहती है जिनके कारण स्थिति का आकलन समय पर नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप पात्र दिव्यांगजनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। समिति का मानना है कि पूरे भारत में कोचिंग प्रदान करने में अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले संस्थान, जो अच्छी सुविधा से परिपूर्ण हो, को ढूंढना दिव्यांग छात्रों के लिए एक बाधा हो सकती है क्योंकि ऐसे संस्थान पूरे देश में आसानी से उपलब्ध नहीं हैं और छात्रों को भी ऐसे संस्थान महंगे और पहुंच से बाहर लग सकते हैं। अत: समिति यह सिफारिश करती है कि विभाग इस आलोक में भी मामले की जांच करे।

4.15 समिति यह नोट करके अप्रसन्न है कि राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृति योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए निर्धारित 20 छात्रवृति योजनाओं में से 2019-20 के लिए केवल सात छात्रों, 2022-21 के लिए छह छात्रों और 2021-22 के लिए पांच छात्रों का ही चयन किया गया था। समिति पाती है कि शोधन क्षमता संबंधी प्रमाण-पत्र के मान-दण्डों में पिछले मूल्य, जो कि सरकार द्वारा किसी छात्र पर व्यय की जाने वाली राशि है, की तुलना में कम कर दी गई है। समिति महसूस करती है कि शोधन क्षमता संबंधी प्रमाण-पत्र के संबंध में निर्णय लेने में विभाग की ओर से अनुचित विलंब हुआ क्योंकि समिति का मानना है कि विभाग को कारणों का पता लगाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने चाहिए थे जिसके कारण छात्र छात्रवृत्ति के लिए आगे नहीं आ रहे थे। समिति ने यह भी पाया कि समुद्रपारीय छात्रवृत्ति का क्रियान्वयन आफलाइन माध्यम से किया जाता है जिससे दिव्यांग छात्रों को इसका लाभ लेने में स्पष्ट रूप से बाधा पहुंच रही है। इस पहलु की भी जांच किए जाने की आवश्यकता है। समिति यह भी चाहती है कि विभाग को निर्देश दिया जाए कि वह यह सुनिश्चित करे अब से अपेक्षित संख्या में निर्धारित छात्रवृत्ति दी जाए और उनकी ओर से कोई ठिलाई न हो।

अध्याय - पांच

दिव्यांगता खेल केंद्र (सीडीएस)

दिव्यांगता खेल केंद्र (सीडीएस) की घोषणा 2014-15 के बजट भाषण में की गई थी। इन केन्द्रों की स्थापना देश के विभिन्न क्षेत्रों में की जानी है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ दिव्यांगजनों को विश्व के नवीनतम सुविधाओं के समान प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जा सकें ताकि वे दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पैरालंपिक, बधिर- ओलंपिक, विशेष ओलंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने और पदक जीतने में सक्षम हो सकें। 11 वें वित्त आयोग द्वारा 2018 में ग्वालियर और शिलांग में ऐसे दो केंद्रों की सिफारिश की गई थी।

5.2 ग्वालियर में एक केंद्र को 2019 में कैबिनेट द्वारा 170.99 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ अनुमोदित किया गया था। परियोजना के लिए कार्य आदेश 6 मई 2019 को सीपीडब्ल्यूडी को जारी किया गया था और 2019-20 के दौरान सीपीडब्ल्यूडी को 15.07 करोड़ रुपये और 2020-21 के दौरान 18.93 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। केंद्र की आधारशिला 25 सितंबर, 2020 को रखी गई थी और केंद्र का निर्माण कार्य चल रहा है जिसके जून, 2022 में पूरा होने की संभावना है। शिलांग सेंटर के लिए डीपीआर तैयार कर ली गई है। डीपीआर के अनुसार, परियोजना की अनुमानित गैर-आवर्ती लागत 241.06 करोड़ रुपये है। सीईई/पीआईबी ज्ञापन परिचालित कर दिया गया है और इस प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों से टिप्पणियां प्राप्त की जा रही हैं। 2019-20 2020-21, 2021-22 के लिए बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक व्यय (वा. व्यय) तथा 2022-23 के लिए बजट अनुमान (बीई) इस प्रकार है:

वर्ष	बजट आवंटन (₹ करोड़ में)	संशोधित आवंटन (₹ करोड़ में)	वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)
2019-20	17.00	17.00	15.07
2020-21	100.00	19.50	18.93
2021-22	53.41	40.00	39.80 (16.02.2022

			तक)
2022-23	60.00	-	-

5.3 चूंकि भारत सरकार द्वारा परियोजना को मंजूरी दिए जाने के बाद से काफी समय बीत चुका है, इसलिए समिति ने ग्वालियर में बनाए जा रहे केंद्र की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा, जिस पर विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"विभाग दिव्यांगता खेल केंद्र ग्वालियर के संबंध में चल रहे कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। सीपीडब्ल्यूडी को टर्नकी आधार पर सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कार्यों को शुरू करने के लिए निष्पादन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। चल रहे कार्य के जून, 2022 तक पूरा होने की संभावना है। परियोजना केन्द्र, दिव्यांगता खेल केन्द्र, ग्वालियर की प्रगति की निगरानी सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा नियमित रूप से की जा रही है। हाल ही में, परियोजना निगरानी समिति की बैठक 14 जनवरी, 2022 को आयोजित की गई थी, जिसमें प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए केंद्र को चालू करने के लिए वित्तीय निहितार्थों के साथ भवन के निर्माण और आवश्यक उपकरणों/फर्नीचर के विनिर्देशों के संदर्भ में परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई थी।"

5.4 विभाग के साथ साक्ष्य के दौरान, सचिव ने बताया कि:-

"सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स है, दिव्यांगता खेल केंद्र, यह पहला केंद्र ग्वालियर में आ रहा है। इसमें सीपीडब्ल्यूडी के द्वारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इसमें करीब 40 करोड़ का इस बार का आरई था और 39.80 करोड़ हमारा रिलीज हो गया है।"

5.5 देश में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित दिव्यांगता खेल केंद्रों और कार्य को पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अन्य बातों के साथ-साथ अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण पर XII वीं योजना के कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट में दिव्यांगता खेल केंद्र की स्थापना की सिफारिश की है। इस परियोजना को XII योजना में शामिल किया गया था और यह 2014-15 के बजट भाषण का भी एक हिस्सा था। इसे आगे बढ़ाते हुए, देश के पांच जोनों अर्थात् मध्य क्षेत्र में ग्वालियर, पूर्वी क्षेत्र में शिलांग, उत्तरी क्षेत्र में

जिरखपुर, पंजाब, दक्षिणी क्षेत्र में विशाखापत्तनम, आन्ध्र प्रदेश और पश्चिमी क्षेत्र में चिन्हित किए जाने वाले स्थान पर एक केन्द्र में दिव्यांगता खेल केंद्र के लिए 5 केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया था। विभाग के प्रस्ताव पर व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा 31.10.2018 को आयोजित अपनी बैठक में विचार किया गया था। ईएफसी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर और मेघालय के शिलांग प्रत्येक में एक-एक दिव्यांगता खेल केंद्रों (कुल दो केंद्र) की स्थापना की सिफारिश की।"

5.6 चूंकि आज तक दिव्यांगता खेलों के लिए किसी भी केंद्र को कार्यात्मक नहीं बनाया गया है, इसलिए समिति ने दिव्यांगजनों के पास उपलब्ध विकल्प की जांच की, इस पर विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"वर्तमान में, इस विभाग में दिव्यांगजनों के लिए कोई समर्पित खेल प्रशिक्षण सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। इस रिक्ति को अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं के साथ दिव्यांगता खेल केंद्र, ग्वालियर की स्थापना करके भरा जा रहा है।"

5.7 जहां तक निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विभाग के पास उपलब्ध निगरानी तंत्र का संबंध है, समिति को लिखित उत्तर के माध्यम से बताया गया कि:-

"परियोजना की निगरानी के लिए सचिव की अध्यक्षता में एक परियोजना निगरानी समिति का गठन किया गया है जो परियोजना की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी कर रही है। पीएमसी की पिछली बैठक 14 जनवरी, 2022 को आयोजित की गई थी। इसके अतिरिक्त, सीडीएस, ग्वालियर की सोसाइटी का शासी निकाय, जिसकी अध्यक्षता सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी भी करती है, परियोजना की प्रगति की समीक्षा करती है। इसके अलावा, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप यह उम्मीद की जाती है कि परियोजना का निर्माण जून, 2022 में पूरा हो जाएगा और इसके तुरंत बाद केंद्र कार्य करना शुरू कर देगा।"

5.8 समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि 2014-15 की बजट घोषणा के परिणामस्वरूप देश के पांच जोनों में दिव्यांगों संबंधी खेल के लिए खोले जाने वाले पांच केंद्रों में से केवल दो केन्द्र अर्थात ग्वालियर और शिलांग को अंतत: स्थापित किया जा सकेगा

क्योंकि दिव्यांगों संबंधी खेल के लिए ग्वालियर स्थित खेल केंद्र 2 जून, 2022 तक पूरा हो जाएगा, और शिलांग स्थित केंद्र के लिए वित्तीय आवंटन किया जा चुका है। समिति बजट भाषण 2014-15 में घोषित दृष्टिपत्र को सफल बनाने में विभाग की असफलता के कारणों का समझ पाने में असफल है क्योंकि छह वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में, जहां दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग में दिव्यांगों के लिए कोई समर्पित खेल प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध नहीं है। समिति को आशंका है कि ग्वालियर केन्द्र कब कार्य करना आरंभ करेगा क्योंकि उक्त कार्य के जून, 2022 तक पूरा होने की आशा है। इसलिए समिति यह चाहती है कि विभाग निर्माण कार्य पूरा हो जाने के तुरंत बाद ग्वालियर केन्द्र को कार्यशील बनाए और इस संबंध में अभी से आवश्यक कार्रवाई आरंभ की जाए। शिलांग केंद्र के संबंध में समिति यह चाहती है कि विभाग द्वारा कार्य को समय पर पूरा करने के लिए एक समयबद्ध दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और शेष केन्द्रों के संबंध में सक्षम प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्ताव भेजा जा सकता है। अब जहां इतने सारे दिव्यांग खिलाडियों ने विशेष ओलंपिक्स और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में देश के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं और पदक जीते है, तब इस मुद्दे पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। समिति शेष प्रस्तावित केन्द्रों के संबंध में कार्य की स्थिति से अवगत होना चाहेगी।

अध्याय - छह

राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम

राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी) कंपनी अधिनियम, 1956 (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) की धारा 25 के तहत 24 जनवरी, 1997 को निगमित एक गैर-लाभकारी कंपनी है, जो दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लाभ के लिए एक शीर्ष निगम के रूप में कार्य कर रही है। एनएचएफडीसी के उद्देश्य इस प्रकार हैं-

(i) "दिव्यांगजनों के लाभ/आर्थिक पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार और अन्य उपक्रमों को बढ़ावा देना।

(ii) ऐसी आय और/या आर्थिक मानदंडो जो समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हो, के अध्यधीन सहायता करना जो आर्थिक और वित्तीय रूप से व्यवहार्य योजनाओं और परियोजनाओं माध्यम से दिव्यांगजनों या दिव्यांगजनों के समूहों को ऋण और अग्रिम राशि द्वारा की जा सकती है। स्नातक और उच्च स्तर पर प्रशिक्षण के लिए सामान्य व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा को जारी रखने के लिए दिव्यांगजनों को ऋण देना।

(iii) उत्पादन इकाइयों के उचित और कुशल प्रबंधन के लिए दिव्यांगजन के तकनीकी और उद्यमशीलता कौशल के उन्नयन में सहायता करना।

(iv) दिव्यांगजनों के लिए समाज में समावेशन और आरामदायक जीवन जीने की सुविधा।

(v) उनकी आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए दिव्यांगजनों के उचित पुनर्वास/उत्थान के लिए प्रशिक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रक्रिया विकास, प्रौद्योगिकी, सामान्य सुविधा केंद्र और अन्य ढांचागत गतिविधियों स्थापित करना।

(vi) दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने और पुनः वित्तपोषण करने के माध्यम से उन्हें वाणिज्यिक निधियन प्राप्त करने के माध्यम से उनके विकास के प्रबंधन करने के लिए राज्य स्तर के संगठनों की सहायता करना।

(vii) राज्य सरकारों द्वारा नामित कार्यान्वयन एजेंसियों, साझेदार बैंकों और वित्तीय संस्थानों और अन्य राज्य स्तरीय संस्थानों, जिनके द्वारा समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, के

माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए निधियों के चेनेलाईजिंग हेतु एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करना।"

6.2 राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी) का पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है और इसकी अधिकृत शेयर पूंजी ₹499.50 करोड़ और प्रदत्त शेयर पूंजी ₹399.99 करोड़ है। निगम का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों के लाभ के लिए आर्थिक विकासात्मक कार्यकलापों को बढ़ावा देना और दिव्यांगजनों को स्वरोजगार तथा उच्चतर शिक्षा आदि के लिए ऋण प्रदान करना है। विगत तीन वर्षों के बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक व्यय (वा. व्यय) के साथ-साथ 2022-23 का बजट अनुमान (बीई) निम्नानुसार है:-

वर्ष	बजट आवंटन (₹ करोड़ में)	संशोधित आवंटन (₹ करोड़ में)	वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)
2019-20	41.21	0.92	0.92
2020-21	0.01	0.00	0.00
2021-22	0.01	0.00	0.00
2022-23	0.01	-	-

6.3 समिति को बताया गया था कि इस योजना के अंतर्गत कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं है। पिछले तीन वर्षों के दौरान ऋण योजना के तहत एनएचएफडीसी की वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	**जारी की गई धनराशि (₹ करोड़ में)**	**लाभार्थियों की संख्या**
2019-20	113.15	18170
2020-21	133.62	18326
2021-22 (31.12.2021 तक)	73.01	10296

6.4 2019-20 में आवंटन को 41.21 करोड़ रुपये से घटाकर 2021-22 में 0.01 करोड़ करने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, डीईपीडब्ल्यूडी के प्रतिनिधियों ने चर्चा के दौरान बताया कि:-

"यह हमारा सैंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एनएचएफडीसी है, उसमें हम इक्विटी सपोर्ट देते हैं। इसकी हमें जो अप्रूवल मिली थी, वह 400 करोड़ रुपये की थी और हम उसे पूरा दे चुके हैं। इसके बाद वित्त मंत्रालय में वर्ष 2020-21 में गए थे तो उन्होंने कहा कि इस साल हम किसी भी नए सीपीएससी को इक्विटी एनहांस नहीं करेंगे। वर्ष 2020-21 का कोई प्रस्ताव उन्होंने नहीं माना और वर्ष 2021-22 में भी कोई प्रस्ताव किसी भी मंत्रालय का नहीं माना है। पहले बजट में जो इक्विटी सपोर्ट रखते थे, उसका प्रावधान नहीं रखा है।"

6.5 एनएचएफडीसी के कार्यकरण पर निगरानी प्रणाली और नियंत्रण के संबंध में, विभाग ने अपने पृष्ठभूमि टिप्पण में बताया कि:-

"एनएचएफडीसी के पास अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निम्नलिखित आंतरिक तंत्र हैं:

(i) कार्यान्वयन एजेंसियों को उपलब्ध करायी गयी निधियों का उपयोग इन्हें जारी करने की तिथि से 120 दिनों की अवधि में कर लिया जाना चाहिए। कार्यान्वयन एजेंसियों से अपेक्षित है कि वे जारी की गई राशि के संबंध में उपयोग विवरण प्रस्तुत करें।

(ii) एनएचएफडीसी अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सम्मेलनों/कार्यशालाओं का नियमित रूप से आयोजन करता है। इन सम्मेलनों/कार्यशालाओं में एनएचएफडीसी योजनाओं के कार्य निष्पादन की समीक्षा की जाती है। संबंधित राज्यों में क्रियान्वित की जा रही एनएचएफडीसी की योजनाओं की बाधाओं पर भी विचार विमर्श किया जाता है और मूल्यांकन किया जाता है। इस विचार विमर्श के आधार पर नीतियों को एनएचएफडीसी के उद्देश्यों की परिधि के भीतर उपयुक्त रूप में संशोधित किया जाता है।

(iii) आंतरिक समीक्षा बैठक विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा एनएचएफडीसी योजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा/मॉनिटरिंग की जाती है और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त उपाय किए जाते हैं।"

6.6 एनएचएफडीसी को इक्विटी सहायता बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा इनकार करने के कारणों के संबंध में विभाग के साथ चर्चा के दौरान, डीईपीडब्ल्यूडी के प्रतिनिधि ने बताया कि:-

"उन्होंने कोविड की स्थिति की बात कही। यह बात मंत्रालय में लिखित में आई कि कोई इक्विटी सपोर्ट नहीं देंगे।"

6.7 इक्विटी में वृद्धि के अभाव में, विभाग के प्रतिनिधि ने एनएचडीएफसी के कार्यकरण पर इसके प्रभाव के संबंध में बताया कि:-

"सरकार से हमें जो ग्रांट मिलती है और एनएचएफडीसी ने अपना जो प्रोफिट कमाया होगा, उसका उपयोग करते हैं। हमें तीन साल में ग्रांट कम मिली है। उससे हमारी लोन एक्टिविटी सफर नहीं हुई है। हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 115 करोड़ रुपये का लोन बांटा था। इस साल 140 करोड़ रुपये का लोन बांटेंगे और उससे पिछले साल 95 सीआर का था। ग्रांट्स कम होने के बावजूद भी लोन देने में कमी नहीं आई है।"

6.8 विभाग ने बताया कि निगम ने आउटरीच का विस्तार करने के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं:

(i) एनएचएफडीसी स्वावलंबन केंद्र:

(क) एनएचएफडीसी ने पायलट पैमाने पर ऋण आवश्यकताओं, कौशल संबंधों, सुनिश्चित व्यावसायिक संपर्क आवश्यकताओं आदि को अभिसरण करके एनएचएफडीसी स्वावलंबन केंद्र की अवधारणा को शुरू किया है और शुरू में देश के प्रत्येक जिले को एक एनएसके की दर से कवर करते हुए एक भव्य योजना में बदलने की आकांक्षा रखता है। प्रत्येक एनएसके की स्थापना एनएचएफडीसी से 100 प्रतिशत वित्त पोषण की मदद से दिव्यांग उद्यमियों द्वारा लगभग 12 लाख रूपये की पूंजीगत लागत से की जाती है।

(ख) हैंड होल्डिंग सहायता प्रदान करने के साथ-साथ सुनिश्चित व्यावसायिक संपर्क/व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए, एनएचएफडीसी इन एनएसएक्स के माध्यम से कौशल निर्धारण कार्यक्रम आयोजित करता है। प्रत्येक साइट के लिए स्कोपिंग अभ्यास के आधार पर सामान्य सेवा केंद्र सीएससी/गतिविधियों/खुदरा प्रारूपों/कैप्टिव उत्पादन केंद्रों जैसे मदों के लिए शुरू करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। एनएसके एनएचएफडीसी योजनाओं के लिए माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग साइट्स के रूप में भी काम करेगा।

(ग) इन एनएसके का उपयोग स्थानीय रूप से प्रासंगिक और व्यवहार्य व्यवसायों पर कौशल हाथों से मिनी इनक्यूबेशन केंद्रों के रूप में किया जाएगा ताकि ग्रामीण दिव्यांगजनों को उनके इलाकों में और उसके आसपास स्वरोजगार के अवसरों के लिए प्रशिक्षित किया जा सके।

(घ) निगम बागपत नोएडा, कन्नौज (उत्तर प्रदेश), यमुना नगर, सोनीपत, कुरुक्षेत्र (हरियाणा), छिंदवाड़, इंदौर, नागदा (मध्य प्रदेश), भीलवाड़ा, दौसा (राजस्थान), उधम सिंह नगर (उत्तराखंड) और नयागढ़ (ओडिशा) में पहले से ही 14 एनएसके स्थापित कर चुका है। उपरोक्त सभी एनएसके में दिव्यांगजनों के कौशल प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। इन एनएसके में प्रत्येक प्रशिक्षु के लिए सीसीटीवी, बायोमीट्रिक मशीन, लैपटॉप/अन्य उपकरण लगे होते हैं और दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य शौचालय बनाए गए हैं।

(ii) पीडब्ल्यूडी उद्यमियों के उत्पादों का ऑनलाइन विपणनः

रियायती ऋण के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास की प्रक्रिया में दिव्यांग उद्यमियों को अपने उत्पादों के विपणन में हैंड होल्डिंग सहायता प्रदान करना एक महत्वपूर्ण पहलू है। चूंकि दिव्यांग उद्यमी को अपनी गतिशीलता/संप्रेक्षण सीमाओं के साथ अपने उत्पादों और सेवाओं को बाजार में लाने में कुछ मुश्किल हो सकती हैं। एनएचएफडीसी ने दिव्यांग उद्यमियों के उत्पादों और सेवाओं का एकत्रीकरण करने के माध्यम से उनके वस्तुओं और सेवाओं के विपणन में उनकी सीधे सहायता करने के लिए प्रयास शुरू किए हैं और मौजूदा ई-मार्केटिंग मंच का प्रयोग करते हुए इस दिशा में प्रयास किए गए हैं। दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए कुछ उत्पाद अब अग्रणी ई-मार्केटिंग प्लेटफार्म (अमेज़ॅन, फ्लिपकार्ट, जैम आदि) पर उपलब्ध हैं।

(iii) निगम की पहुंच को बढ़ाना:

अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए निगम ने नई राज्य नामित एजेंसियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ समझौते किए। वर्ष के दौरान एनएचएफडीसी ने राज्य दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम, गुजरात और त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए। यह इसी तरह के प्रयास हैं।

(iv) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रो में एनएचएफडीसी की योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी प्रणाली

एनएचएफडीसी ने अपनी योजनाओं और कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निम्नलिखित आंतरिक तंत्र तैयार किया है:-

(क) ऋण का उपयोगः कार्यान्वयन एजेंसियों को उपलब्ध कराई गई धनराशि का उपयोग इसके जारी होने की तारीख से निर्धारित अवधि के भीतर किया जाना है। कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की गई राशि के संबंध में उपयोग विवरण प्रस्तुत करना होता है।

(ख) राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सम्मेलन/कार्यशालाएं: एनएचएफडीसी नियमित रूप से अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सम्मेलनों/ कार्यशालाओं का आयोजन करता है। ऐसे सम्मेलनों/कार्यशालाओं में एनएचएफडीसी योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है। संबंधित राज्यों में एनएचएफडीसी की योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली अड़चनों पर भी चर्चा और मूल्यांकन किया जाता है। चर्चाओं के आधार पर नीतियों को एनएचएफडीसी के उद्देश्यों के दायरे में उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाता है।

(ग) आंतरिक समीक्षा बैठकः विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा एनएचएफडीसी योजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा/निगरानी की जाती है और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त उपाय किए जाते हैं।

(v) कौशल प्रशिक्षण केंद्र

(क) एनएचएफडीसी दिव्यांगजनों के कौशल प्रशिक्षण पर जोर दे रहा है और उज्जैन (मध्य प्रदेश) स्थित अपने मुख्य कौशल प्रशिक्षण केंद्रों से और बागपत, नोएडा, कन्नौज (उत्तर प्रदेश), यमुनानगर, सोनीपत, कुरुक्षेत्र (हरियाणा), छिंदवाड़ा, इंदौर, नागदा (एमपी), भीलवाड़ा (राजस्थान) और नयागढ़ (ओडिशा) में एनएचएफडीसी स्वावलंबन केंद्रों के नाम पर माइक्रो स्किलिंग केंद्रों से अपने ईडीपी/कौशल प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान कर रहा है। एनएचएफडीसी ने मुख्य रूप से उपर्युक्त केंद्रों के माध्यम से डीईपीडबल्यूडी की सिपडा योजना के तहत 7810 दिव्यांगों का कौशल प्रशिक्षण शुरू किया।

(ख) एनएचएफडीसी ने देश के 21 एनसीएससीडीए, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से देश के विभिन्न स्थानों पर अपने कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए कदम उठाए हैं। इससे दिव्यांगजनों को उनके मजदूरी रोजगार या स्वरोजगार के लिए गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण देने में दोनों संगठनों की मजबूती का उपयोग सुनिश्चित होगा।

6.9 समिति यह पाती है कि नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनैन्स एण्ड डिवैल्पमेन्ट कार्पोरेशन (एनएचएफडीसी) को वर्ष 1997 में स्थापित किया गया था। जिसका उद्देश्य दिव्यांगजन के लाभार्थ स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु सहायता करना था। समिति यह नोट करते हुए आश्चर्यचकित है कि सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 से एनएचएफडीसी को किया जाने वाला बजटीय आवंटन रोक दिया गया है क्योंकि सरकार ने उक्त संगठन की इक्विटी को नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है। समिति चाहती है कि विभाग इस घटना पर अपने विचार प्रस्तुत करे क्योंकि उनकी राय है कि दिव्यांगजनों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित एनएचएफडीसी को धन के अभाव में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। समिति महसूस करती है कि विभाग द्वारा एनएचएफडीसी को वार्षिक निधि प्रदान नहीं करने से निगम के उद्देश्य में बाधा आएगी। एनएचएफडीसी के प्रदर्शन के संबंध में, कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है क्योंकि वर्ष 2019-20 और 2020-21 में क्रमशः 113.15 करोड़ रुपए और 133.62 करोड़ रुपए जारी किए जा सके और इन दो वर्षों के दौरान 18170 और 18326 व्यक्ति लाभान्वित हुए। यह और भी निराशाजनक है कि वर्ष 2021-22 में 31 दिसंबर, 2021 तक 73.01 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई, जो काफी कम है और लाभार्थियों की संख्या केवल 10296 है। समिति सरकार के निर्णय से आश्वस्त नहीं है, खासकर ऐसी परिस्थितियों में जब वे 'आत्मनिर्भर भारत' और 'कौशल भारत मिशन' के तहत उद्यमिता को बढ़ावा दे रहे हैं। समिति इसकी सराहना करेगी यदि इस मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उठाया जाए ताकि दिव्यांगजन स्वयं को हतोत्साहित महसूस न करें। समिति लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए की गई कार्रवाई के साथ-साथ निगम की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभार्थियों के राज्य-वार ब्यौरे से अवगत होना चाहेगी।

अध्याय - सात

सहायक उपकरणों/यंत्रों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडीआईपी)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों (राष्ट्रीय संस्थान/समग्र क्षेत्रीय केंद्र/भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को)/जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्रों/राज्य दिव्यांग विकास निगमों/अन्य स्थानीय निकायों/गैर-सरकारी संगठनों) को सहायता अनुदान प्रदान करना है ताकि टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से विनिर्मित, आधुनिक, मानक सहायक उपकरणों और यंत्रों की खरीद कर दिव्यांगजनों के शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास में उनकी सहायता करने के साथ ही साथ उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाया जा सके। दिव्यांगजनों को बिना किसी के निर्भरता के कार्य करने तथा दिव्यांगता के प्रभाव को कम करने और अन्य दूसरी दिव्यांगता की घटना को रोकने के उद्देश्य से सहायक उपकरण दिए जाते हैं।

2022-23 के लिए बजट अनुमान (बीई) के साथ-साथ विगत तीन वर्षों का बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक व्यय (एई) इस प्रकार हैं:-

वर्ष	बजट अनुमान (₹ करोड़ में)	संशोधित अनुमान (₹ करोड़ में)	वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)
2019-20	230.00	222.50	213.83
2020-21	230.00	195.00	189.13
2021-22	220.00	180.00	121.48 (25.01.2022 तक)
2022-23	235.00	-	-

7.2 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान योजना के तहत वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धि और 2022-23 के लिए लक्ष्य इस प्रकार हैं:

क्रम सं.	**स्कीम/परियोजना का नाम**	**वास्तविक लक्ष्य**	**उपलब्धियां**	**कमी यदि कोई हो, कारणों को इंगित करता संक्षिप्त विविरण**	**वास्तविक लक्ष्य**	**उपलब्धियां**	**कमी यदि कोई हो, कारणों को इंगित करता संक्षिप्त विविरण**	**वास्तविक लक्ष्य**	**उपलब्धियां (25.01.2022 तक)**	**कमी यदि कोई हो, कारणों को इंगित करता संक्षिप्त विविरण**	**वास्तविक लक्ष्य**
		2019-20			2020-21			2021-22			2022-23

2.	एड्स/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडीआईपी)	3.00 लाख लाभार्थी	3.51 लाख लाभार्थी	लक्ष्य से अधिक पूरा किया गया	3.00 लाख लाभार्थी	2.58 लाख	वर्ष भर कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका	2.00 लाख लाभार्थी	1.71 लाख लाभार्थी	यह लक्ष्य 31.03.2022 तक प्राप्त कर लिया जाएगा।	2.05 लाख लाभार्थी

7.3. पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान आवंटन में कमी किए जाने के कारणों और संशोधित प्राक्कलनों को खर्च न कर पाने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"वर्ष 2019-20 के लिए बजट आवंटन 230.00 करोड़ रुपये था जो वर्ष 2018-19 के बजट आवंटन से 10.00 करोड़ रुपये अधिक था। जहां तक संशोधित अनुमान के कम उपयोग का संबंध है, यह उल्लेख किया जाता है कि 222.50 करोड़ रुपये के आरई आबंटन की तुलना में वर्ष के दौरान 213.83 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी जो आबंटन का 96% है। पूरे आरई आबंटन का उपयोग इस तथ्य के कारण नहीं किया जा सका कि आम चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण पर्याप्त शिविर आयोजित नहीं किए जा सके। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के कारण, वर्ष के अंत तक निधियां जारी नहीं की जा सकती क्योंकि मार्च, 2020 में सहायक यंत्रों और उपकरणों का वितरण संभव नहीं था।

जहां तक 2020-21 का संबंध है, बजट आवंटन 230.00 करोड़ रुपये था, इसलिए, 2019-20 के दौरान बजट आवंटन की तुलना में कोई कमी नहीं की गई थी। 2020-21 के लिए आरई आवंटन 195.00 करोड़ रुपये था, जिसमें से 189.13 करोड़ रुपये जारी किए गए थे, जो आरई आवंटन का लगभग 97% है। शेष निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि शिविरों को 13.03.2020 से स्थगित कर दिया गया था। सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों का वितरण जारी रखने के लिए, विभाग ने कोविड 19 दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए एडिप योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान और सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की। उक्त एसओपी जारी होने के बाद पहला वितरण शिविर फिरोजपुर (पंजाब) में 15.06.2020 को आयोजित किया गया था। इसलिए, कोविड 19 महामारी के प्रभाव के कारण, जिसने जिलों में बड़े शिविरों के आयोजित किए जाने को सीधे तौर पर प्रभावित और सीमित किया, पूरे आरई आवंटन को जारी नहीं किया जा सका।

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए, कोविड-19 महामारी के कारण शिविरों के आयोजन की अनिश्चितता के कारण बजट आवंटन को पिछले वर्ष के 230.00 करोड़ रुपये

से थोड़ा कम करके 220.00 करोड़ रुपये कर दिया गया था। जहां तक आरई आबंटन का संबंध है, व्यय वित्त समिति की सिफारिशों के अनुसार 5 वर्षों के लिए अर्थात 2021-22 से 2025-26 तक कुल वित्तीय परिव्यय 1176.00 करोड़ रुपये तक सीमित कर दिया गया है। वर्ष की पहली तिमाही में वितरण शिविरों और कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी के आयोजन पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, आरई आवंटन 180.00 करोड़ रुपये तय किया गया था। कुल आरई आबंटन में से 14730 करोड़ रुपए की निधियां जो आरई आबंटन का 82% हैं, पहले ही जारी की जा चुकी हैं। चूंकि पर्याप्त प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं और एसओपी के बाद शिविरों का भी आयोजन किया जा रहा है, इसलिए 2021-22 के दौरान 31.3.2022 तक पूरे आरई आवंटन का उपयोग किया जाएगा।"

7.4 विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों अर्थात् राष्ट्रीय संस्थानों/एलिम्को/ डीडीआरसी/राज्य दिव्यांग विकास निगम और अन्य स्थानीय निकायों के बीच निधियों के आवंटन के लिए निर्धारित मानदंडों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को), इस विभाग का एक सीपीएसई और राष्ट्रीय संस्थान/समेकित क्षेत्रीय केंद्र, जो इस विभाग के अधीन स्वायत्त निकाय हैं, प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसियां हैं जो भारत वर्ष में कार्य कर रहे है। योजना के तहत आवंटित बजट का लगभग 95-96% इन संगठनों को जारी किया जाता है। विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियों के आवंटन के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया गया है:-

(i) शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित लाभार्थियों की संख्या, प्रस्ताव में उल्लिखित निधियों की आवश्यकता और अव्ययित शेष राशि, यदि कोई हो।

(ii) पिछले वर्षों के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति।

गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) /वीओ के नए प्रस्ताव के मामले में, योजना को कार्यान्वित करने के लिए संगठन की क्षमता को ध्यान में रखते हुए विभाग में गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा सहायता अनुदान की मात्रा की सिफारिश की जाती है।"

7.5 2020-21 और 2019-20 की तुलना में 2021-22 और 2022-23 के लिए निर्धारित लक्ष्य को कम करने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अन्य बातों के साथ-साथ अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"वर्ष 2021-22 के लिए लक्ष्य को कम करने के संबंध में यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि कोविड 19 महामारी के प्रभाव के कारण, यह सीधे प्रभावित हुआ और जिलों में बड़े शिविरों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों को कम कर दिया गया। जहां तक 2022-23 का संबंध है, यह उल्लेख किया जाता है कि व्यय वित्त समिति (ईएफसी) और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) के मूल्यांकन के आधार पर, योजना को संशोधित किया गया है जिसे 01.04.2022 से लागू किया जाएगा। संशोधित योजना में, सहायक यत्रों और सहायक उपकरणों की लागत सीमा को 10,000/- रुपए से बढ़ाकर 15,000/- रुपए कर दिया गया है। मोटरयुक्त ट्राइसाइकिल के मामले में, सब्सिडी को 25,000/- रुपये से बढ़ाकर 50,000/- रुपये कर दिया गया है और कॉकलियर इम्प्लांट कार्यक्रम के तहत स्वीकार्य अनुदान की राशि को भी 6.00 लाख रुपये प्रति यूनिट से बढ़ाकर 7.00 लाख रुपये प्रति यूनिट कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ईएफसी द्वारा आवंटित निधियों में से लाभार्थियों की कम संख्या का कवरेज होगा।

दिनांक 31.01.2022 की स्थिति के अनुसार, शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या 1.95 लाख है जो 2.00 लाख लक्षित लाभार्थियों का 97% है। इसलिए, लक्ष्य को 31.03.2022 तक पूरी तरह से प्राप्त कर लिया जाएगा।"

7.6 प्रत्येक कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धियों के साथ-साथ दिव्यांगजनों की सहायता के संबंध में सहायक उपकरणों/यंत्रों की खरीद/फिटिंग के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्य के संबंध में विभाग ने अन्य बातों के साथ-साथ अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"किसी भी कार्यान्वयन एजेंसी के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। कार्यान्वयन एजेंसियों को उनके निष्पादन और निधियों की आवश्यकता के आधार पर निधियां जारी की जाती हैं। जहां तक लक्ष्य को प्राप्त करने का संबंध है, संपूर्ण योजना के लिए निर्धारित वित्तीय लक्ष्य (बजटीय आवंटन) और वास्तविक लक्ष्य (शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या) सभी कार्यान्वयन एजेंसियों के सामूहिक प्रयासों के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं।"

7.7 योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए 40 प्रतिशत दिव्यांगता मानदंड रखने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी ने बताया कि:-

"इसका प्रापर नोटिफिकेशन है कि कितनी दिव्यांगता पर कितनी परसेंटेज होती है। एक्ट के मुताबिक जिसकी दिव्यांगता 40 परसेंट या अधिक हो, इसके साथ इनकम लैवल क्राइटेरिया भी होता है, ये दोनों क्राइटेरिया मीटआउट होते हैं तो उस पर्सन को असिस्टेंस दी जाती है।

पहले असेसमेंट होगा। असेसमेंट लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुविधा अनुसार देते हैं। वहां एलिमको के डॉक्टर्स जाते हैं, सबका रजिस्ट्रेशन होता है। उस इलाके में प्रॉपर पब्लिसिटी की जाती है। इसके बाद असेसमेंट होता है और कैम्प मोड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हम इसे प्रियारिटी पर रखेंगे।"

7.8 जहां तक आय मानदण्ड का संबंध है, विभाग के प्रतिनिधि ने समिति के साथ चर्चा के दौरान बताया कि:-

"जहां तक इनकम की बात है, आय के लिए कोई न कोई प्रूफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है, उसके बेस पर आय देखी जाती है। आय फैमिली इनकम मानी जाती है। अगर आय 15,000 रुपये महीना यानी 1,80,000 सालाना से कम है तभी 100 प्रतिशत सब्सिडी एडिप स्कीम के अंतर्गत मिलती है। अगर आय 1,80,000 से 2,40,000 के बीच में है तो 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है। इसके ऊपर नहीं मिलती है।"

7.9 जब समिति ने सहायक उपकरणों के वितरण के लिए आय का एक महत्वपूर्ण मानदंड होने के बारे में अपनी नाखुशी व्यक्त की, तो सचिव ने चर्चा के दौरान बताया कि:-

"हमें इसमें इनकम लिमिट इसलिए देखनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास बजट बहुत लिमिटेड होता है। हमारा अगले चार साल के लिए अमाउंट फिक्स कर दिया गया है कि आपको इस स्कीम के तहत इतना ही फंड मिलेगा और उस स्कीम के तहत आपको जो शोध करना है, उस लिमिट के अन्दर रहकर कर सकते हैं। यह हमारे लिए फाइनेंस का एक लिमिटेशन है। इसलिए हम सबसे नीचे से शुरूआत करते हैं। इन दो चीजों को रखने के लिए किसी भी स्कीम में यह ब्रॉड लिमिटेशन आ जाती है।"

7.10 विभाग द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रावधान के बारे में पूछे जाने पर सचिव ने बताया कि:-

"मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी कि दिव्यांगजनों को पेंशन देने की स्कीम ग्रामीण विकास विभाग में है। हमारे विभाग में यह स्कीम नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो पेंशन दी जाती है, वह ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से दी जाती है।"

7.11 दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगता पेंशन के मुद्दे पर, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

"ग्रामीण विकास मंत्रालय अपने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को पेंशन प्रदान करता है। वर्तमान में, यह एनएसएपी की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गंभीर या बहु-दिव्यांगता (80% या उससे अधिक की दिव्यांगता) वाले और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार से संबंधित 18-79 वर्ष की आयु के दिव्यांगजनों को 300/- रुपये प्रति माह की दर से दिव्यांगता पेंशन प्रदान करता है। 80 वर्ष की आयु होने पर, लाभार्थियों को प्रति माह ₹500/- की बढ़ी हुई केंद्रीय सहायता का भुगतान किया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भी केंद्रीय सहायता पर टॉप-अप कर रहे हैं।"

7.12 पेंशन में वृद्धि के मामले को ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकारों के साथ उठाने के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने निम्नानुसार बताया:-

"दिव्यांगता पेंशन की मात्रा में वृद्धि, दिव्यांगता प्रतिशत/आयु/आय को वितरित करने का मुद्दा पहले भी विभागों से संबद्ध स्थायी संसदीय समिति द्वारा उठाया गया था और इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ भी उठाया गया था। यह माना गया था कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस संबंध में कार्यबल का गठन किया है और वे एनएसएपी को संशोधित करने की प्रक्रिया में हैं।"

7.13 डीआरडीओ द्वारा वर्तमान में निर्मित कॉकलियर इम्प्लांट, इसके परीक्षणों के परिणामों और आम जनता के लिए उपलब्ध होने की संभावित तिथि के बारे में पूछे जाने पर, सचिव ने बताया कि: -

"मैं कॉकलियर इंप्लांट के बारे में यह कहना चाहूंगी कि अभी कॉकलियर इंप्लांट को इम्पोर्ट किया जाता है। डीआरडीओ की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया था कि हम इसको इंडिजिनस्ली डेवलप करेंगे। उसको डेवलप किया गया और 6 लोगों

के ऊपर उसे ट्रायल के तौर पर चलाया गया। मुझे अभी बताया गया है कि उसमें से एक ट्रायल सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मैडम, उसका प्रोटोटाइप प्रोडक्शन के लिए अप्रूव नहीं किया गया है। इसलिए अभी हमारा डीआरडीओ की तरफ ही ध्यान है।"

7.14 लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभाग की कार्य प्रणाली के साथ आगामी वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2022-23 के लिए आवंटित निधियों की पर्याप्तता के संबंध में, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"एडिप योजना के मूल्यांकन और अनुमोदन के दौरान, ईएफसी ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए बजट आवंटन को 1240.00 करोड़ रुपये से घटाकर 1176.00 करोड़ रुपये कर दिया। इसलिए, 2022-23 के दौरान, एडिप योजना के तहत 235.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। वर्ष 2022-23 के लिए 2.00 लाख लाभार्थियों के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है जिसे आबंटित निधि में से कवर किया जाएगा। वर्ष 2022-23 के लिए संपूर्ण आवंटित निधि का उपयोग करने के लिए प्रस्तावित कार्य योजना निम्नलिखित है:-

गतिविधि	**आबंटित निधियां (रू. करोड़ में)**	**शामिल किए जाने वाले लाभार्थी की संख्या**
शिविर / मुख्यालय गतिविधि	162.00	163000
एडिप-एसएसए	40.00	36500
कॉकलियर इम्प्लांट	33.00	500
कुल	**235.00**	**200000**

7.15 एडिप योजना के लक्ष्य और कार्य-निष्पादन को प्राप्त करने के लिए विभाग के पास उपलब्ध निगरानी तंत्र के संबंध में, विभाग ने बताया कि:-

"i) एडिप योजना डीबीटी भारत पोर्टल पर है। एडिप योजना के अंतर्गत किसी विशेष कार्यान्वयन एजेंसी के संबंध में निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित राज्य सरकार की सिफारिशों पर अनुदान जारी किए जाते हैं। सिफारिश करने वाला प्राधिकारी

संगठन के पिछले अनुदान से सहायता प्राप्त लाभार्थियों की 10% और 15% परीक्षण जांच/नमूना जांच भी करता है।

ii) संगठनों को पिछले अनुदान (अनुदानों) के संबंध में समय पर लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होते हैं।

iii) कार्यान्वयन एजेंसियों को एक वेबसाइट बनाए रखने और एडिप योजना के तहत प्राप्त अनुदानों, उपयोग किए गए अनुदानों और लाभार्थियों की सूची के साथ फोटो और राशन कार्ड संख्या/मतदाता पहचान संख्या/आधार कार्ड संख्या, जैसा भी मामला हो, अपलोड करना अपेक्षित है।

iv)गैर-सरकारी संगठनों के प्रस्ताव प्राप्त किए जा रहे हैं और उन पर ऑनलाइन कार्रवाई की जा रही है।

v) नीति आयोग पोर्टल (एनजीओ दर्पण) पर गैर-सरकारी संगठनों का अनिवार्य पंजीकरण।

vi) पीएफएमएस के ईएटी (अग्रिम व्यय अंतरण) मॉड्यूल के माध्यम से सहायता अनुदान का उपयोग।"

7.16 समिति इस तथ्य की सराहना करती है कि उनकी इच्छा के अनुसार एडीआईपी योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2022 से आय सीमा, लागत सीमा, मोटर चालित तिपहिया के लिए राजसहायता और अन्य लागत पहलुओं में वृद्धि की गई है, लेकिन विभाग वर्ष 2021-22 के दौरान संशोधित आवंटन को पूरी तरह से खर्च करने में सक्षम नहीं था, क्योंकि विभाग टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक साधनों और उपकरणों की खरीद में दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता के लिए 180.00 करोड़ के संशोधित आवंटन में से 147.30 करोड़ खर्च कर पाया है, जिसके लिए कोविड 19 महामारी और आम चुनावों के कारण आदर्श आचार संहिता का हवाला दिया गया था। इसके अलावा, समिति ने पाया कि विभाग 2020-21 के लिए निर्धारित भौतिक लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सक्षम नहीं हो सका था क्योंकि वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित 3.00 लाख के लक्ष्य में से

केवल 2.58 लाख व्यक्ति ही लाभान्वित हो सके। वर्ष 2019-20 की तुलना में, जबकि 3.00 लाख लाभार्थियों के लक्ष्य के मुकाबले 3.51 लाभार्थी का लक्ष्य प्राप्त किया गया था,वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए निर्धारित लक्ष्य 2.00 लाख और 2.05 लाख लाभार्थी हैं। समिति 2021-22 और 2022-23 के लिए लक्ष्य को कम करने के पीछे तर्क को समझने में असमर्थ है, खासकर जब दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अधिनियमन के साथ निःशक्तताओं की संख्या 7 से बढ़कर 21 हो गई है और इसलिए यह निश्चित है कि उपकरणों और सहायता की आवश्यकता वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होगी। अतः समिति का मानना है कि विभाग को उच्च लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए ताकि बड़ी संख्या में दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण प्राप्त हो सकें।

7.17 समिति यह नोट करती है कि जबकि 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी संशोधित योजना में, सहायता और उपकरणों की अधिकतम लागत 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी गई है, मोटर युक्त साइकिल के मामले में राजसहायता की राशि 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है और कर्णावर्त तंत्रिका प्रत्यारोपण (कॉक्लियर इम्प्लांट) प्रकिया के अंतर्गत स्वीकार्य अनुदान की राशि 6.00 लाख प्रति यूनिट से बढ़ाकर 7.00 लाख प्रति यूनिट कर दी गई है, लेकिन समिति यह महसूस करती है कि वर्ष 2022-23 के लिए 235 करोड़ का निधि आवंटन अपर्याप्त साबित हो सकता है। समिति का दृढ़ मत है कि योजना के संशोधन के बाद निधि आवंटन को भी बढ़ाया जाना चाहिए था ताकि विभाग को लाभार्थियों की संख्या के संबंध में समझौता न करना पड़े। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि योजना के लिए 2022-23 हेतु निधि आवंटन को संशोधित किया जाये ताकि 2022-23 के दौरान दिव्यांग व्यक्तियों की उपकरणों/सहायक यंत्रों की खरीद/फिटिंग सम्बन्धी मांग को पर्याप्त रूप से पूरा किया जा सके।

7.18 समिति इस बात को नोट कर क्षुब्ध है कि एनएसएपी की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तता पेंशन योजना के अंतर्गत, केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसरण में

ग्रामीण विकास मंत्रालय 18-79 वर्ष की आयु के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रति माह 300/- रुपये की दिव्यांगता पेंशन और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के गंभीर एवं अनेक विकलांगताओं से ग्रस्त गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों को 500/- रुपये की दिव्यांगता पेंशन प्रदान करता है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र भी केंद्रीय सहायता को बढ़ा रहे हैं परन्तु वे ऐसा अल्प राशि के साथ कर रहे हैं। समिति ने दिव्यांगों पेंशन के लिए केंद्रीय सहायता राशि बढ़ाने की पूर्व में सिफारिश की थी। चूंकि, विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांग व्यक्तियों के समग्र कल्याण हेतु नोडल विभाग है अत: समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि विभाग इस मामले पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ फिर से चर्चा करे और आवधिक संशोधन के प्रावधान के साथ दिव्यांगता पेंशन के लिए केंद्रीय सहायता को 300 रुपये से बढ़ाकर उसे तर्कसंगत एवं उचित राशि तक किए जाने के मामले पर कार्रवाई को आगे बढ़ाए ताकि गरीब और जरूरतमंद दिव्यांग व्यक्तियों को अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अच्छी राशि पेंशन के रूप में मिल सके।

नई दिल्ली;
22 मार्च, 2022
01 चैत्र, 1944 (शक)

रमा देवी,
सभापति,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता
संबंधी स्थायी समिति